नोट ; पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (कंडक्ट) रेगुलेशंस, १९९१ को भारतीय गजट दिनांक ०५-११-१९८९ में जीएसआर सं. ६८२ (ई) के जरिये प्रकाशित किया गया था

पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (जनरल प्रॉविडेंट फंड) रेगुलेशंस, १९९१

भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोर्ट्स विंग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, १९ मार्च १९९१

जीएसआर १५० (ई)- मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट १९६३ (१९६३ का ३८) की धारा १३२ की उपधारा (१) के साथ पठित धारा १२४ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ केंद्र सरकार एतद्द्वारा पारादीप पोर्ट के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (जनरल प्रॉविडेंट फंड) रेगुलेशंस, १९९१ को स्वीकृत करती है और उसे इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में डालती है।

२ उक्त नियमन आधिकारिक गजब में इसकी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

अनुसूची

पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (जनरल प्रॉविडेंट फंड) रेगुलेशंस, १९९१

मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट १९६३ (१९६३ का ३८) की धारा २८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ पारादीप पोर्ट का न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा 'पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (जनरल प्रॉविडेंट फंड) रेगुलेशंस, १९९१' नामक नि नलिखित नियमन बनाता है जो उक्त एक्ट की धारा १२४ की उपधारा (१) के अधीन केंद्र सरकार की स्वीकृति के विषयाधीन होगा

१ लघु शीर्षक एवं प्रारंभ :-

ए) इन नियमनों को पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (जनरल प्रॉविडेंट फंड) रेगुलेशंस, १९९१ कहा जाता है।

बी) ये भारतीय गजट में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

२ परिभाषाएं :-

१ इन नियमनों में संदर्भ से इतर आवश्यक होगा -

ए) 'लेखा अधिकारी से आशय है बोर्ड का एफएएंड सीएओ'

पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (जनरल प्रॉविडेंट फंड) रेगुलेशंस, १९९१

बी) 'बोर्ड' और चेयरमैन का वही अर्थ होगा जो उन्हें मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट, १९६३ में क्रमश: दिया गया है।

सी) वरना विशुद्ध रूप से उपलब्ध 'वेतन-भत्तों' से आशय ऐसा वेतन जो भारत सरकार के मूलभूत निमयों में परिभाषित हैं या बोर्ड द्वारा तयार किए गए रूल्स/रेगुलेशंस में हैं, यदि कोई है तो जो भी अंशदाता पर लागू होात है, अवकाश वेतन, जीविका अनुदान और विदेश सेवा के संदर्भ में प्राप्त वेतन प्रकृति की कोई अदायगी।

डी) 'कर्मचारी' से आशय बोर्ड के कर्मचारी से है।

ई) 'परिवार' से आशय है :-

१ पुरुष अंशदाता के माले में उसकी पत्नी या बीवियां, माता-पित, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, दिवंगत पुत्र की विधवा और उसके बच्चे तथा जहां अंशदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, दादा-दादी। बशर्ते यदि अंशदाता यह प्रमाणित कर दे कि उसकी पत्नी कानूनी रूप से अलग रहती है या उसे कानूनन समुदाय से बाहर किया गया है, जिसमें वह मुआवजे की पात्र बनती है तो वह उन मामलों में वह अंशदाता के परिवार की सदस्य नहीं मानी जाएगी जो इन नियमनों से संबंधित हं, जब तक अंशदाता तदनुसार लिखित में लेखा अधिकारी को बताए कि उसका नाम रिकॉर्ड मं बना रहना चाहिए।

२ महिला अंशदाता के ममले में पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, गोद ली बहनें, दिवंगत पुत्र की विधवा और उसके बच्चे तथा जहां अंशदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, दादा-दादी। बशर्ते यदि अंशदाता लेखा अधिकारी को लिखित में सूचना देकर अपने पति को अपने परिवार से निकाल बाहर करने की इच्छा जताए, तो उसका पति इस तरह तब तक उन नियमनों के अधीन उसके परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा जब तक वह दोबारा इस सूचना को लिखित में देकर उसे रद्द नहीं करा देती।

नोट :- 'बच्चा' यानी कानूनी बच्चा और इसमें गोद लिया बच्चा भी शामिल है जिसमें अंशदाता पर लागू गोद लेने का विधान संबंधित कानून स मत है।

२ एक गाद लिया बच्चा पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (जनरल प्रॉविडेंट फंड) रेगुलेशंस, १९९१ के उद्देश्य हेतू जैविक पिता के परिवार में शमिल नहीं होगा जब गोद लेने वाले के संबंधित कानून के तहत गोद लेना कानूनी तौर पर स मत हो जैसा कि जैविक संतान के दर्जे के संदर्भ में होता है।

एफ) 'फार्म' से आशय नियमनों से संबंधित फॉर्म

जी) 'फंड' से आशय पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज जनरल प्रॉविडेंट फंड है

एच) 'विभाग प्रमुख' से आशय है केंद्र सरकार द्वारा अधिघोषित प्राधिकारी

आई) 'कार्यालय प्रमुख' से आशय है चेयरमैन द्वारा अधिघोषित प्राधिकारी

जे) 'अवकाश' से आशय है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट १९६३ की धारा २८ के अधीन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा तैयार सीसीएस (लीव) रूल्स १९७२ या नियमनों के अधीन किसी भी तरह का अवकाश, जा अंशदाता के संदर्भ में लागू होता हो।

के) 'वर्ष' से आशय है वित्तीय वर्ष

एल) प्रॉविडेंट फंड एक्ट, १९२५ (१९२५ का १९) में या केंद्र सरकार के आधारभूत नियमों में या अंशदाता पर लागू कोई अन्य नियमन में परिभाषित किसी भी अन्य तरीके की अभिव्यक्ति जो इन नियमनों में प्रयोग हुई, से वही आशय होगा जो

उन्हें ऐसे अधिनियमों या नियमनों में क्रमश: प्रदत्त हैं।

३ कोष का संविधान :–

१ यह कोष न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होगा और इसमें लेनदेन रुपयों में होगा।

४ पात्रता की शर्तं :–

१ एक वर्ष की सेवा के पश्चात सभी अस्थायी कर्मचारी, सभी पुनर्जीविका प्राप्त पेंशनधारक (कांट्रीब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड यानी सीपीएफ में प्रवेश के सभी पात्रों से इतर) और सभी स्थायी कर्मचारी इस कोष में अंशदान देंगे।

२ अस्थायी कर्मचारी अपनो एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने से पूर्व चाहें तो इस कोष में अंशदान दे सकते हैं।

३ सीपीएफ के अंशदाता कर्मचारी जीपीएफ में अंशदान के पात्र नहीं होंगे।

४ कर्मचारी कार्यालय प्रमुख में अपना नामांकन तीन प्रतियों में निर्धारित फॉर्म–२ में दर्ज कराएंगे।

५ कार्यालय प्रमुख हर महीने की १५ तारीख को स्टेटमेंट की नकल लेखा अधिकारी के पास फॉर्म–१ में भरकर तीन प्रतियों में नामांकन प्रपत्रों सहित प्रेषित करेंगे।

६ जीपीएफ नंबर आवंटित करने के बाद लेखा अधिकारी स्टेटमेंट (फॉर्म–१) और नामांकन प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखेगा और फार्म–१ और फॉर्म–२ की अनय प्रतियां कार्यालय प्रमुख को लौटा देगा। उसके बाद फार्म–२ में नामांकन की एक प्रति अंशदाता की सर्विसबुक/सर्विस रोल के पहले पन्ने पर चस्पां करेंगे आर एक दूसरी प्रति पावती सहित अंशदाता को लौटा दी जाएगी।

५ शेष राशि का हस्तांतरण :–

इन नियमनों के आरंभ होने पर जीपीएफ रूल्स १९६० के अधीन गठित जीपीएफ में कर्मचारी के खाते में खड़ी शेष रकम उसी कर्मचारी के लिए इन नियमनों के अधीन गठित कोष के तहत कर्मचारी के खाते में जमा कर दी जाएगी।

६ नामांकन :–

१ इस निधि कोष में प्रवेश करते समय अंशदाता अपनी मृत्यु की स्थिति में इस कोष में जमा रकम हासिल करने का अधिकार एक या अधिक लोगों को दिए जाने हेतू कायालय प्रमुख के जरिये लेखा अधिकारी को भेजेगा, इससे पहले कि वह रकम देय हो या देय होने पर भी अदा न की गई हो।

बशर्ते नामांकन दाखिल करते समय यदि अंशदाता का परिवार है तो वह ऐसा नामांकन किसी सदस्य या किसी पारिवारिक सदस्य के हो पक्ष में नामांकन भर सकता है।

बशर्ते इस कोष में प्रवेश से पूर्व अंशदाता जिस किसी भी अन्य भविष निधि कोष के संदर्भ में नामांकन भर चुका हो व ऐसे अन्य कोष में र ी रकम को इस कोष में हस्तांतरित कर दिया गया है तो उसे केवल इन्हीं नियमनों के तहत नामांकन माना जाएगा जब तक कि वह इन नियमनों के अनुरूप नामांकन नहीं भरता।

२ यदि कोई अंशदाता उपनियमन (१) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों के नाम नामांकन में भरता है तो वह हर नामांकित व्यक्ति के हिस्से आने वाली राशि या उसका अंश विशेष रूप से उल्लेखित करेगा ताकि कोष में उसके नाम जमा

समूची राशि किसी भी समय हिसाब-किताब हो सके।

३ हर एक नामांकन को इन नियमनों के साथ संबंधित फार्म-२ में दर्ज कराना होगा।

४ अंशदाता चाहे तो लेखा अधिकारी के नाम एक लिखित सूचना भेजकर किसी भी समय नामांकन रद्द कर सकता है। अंशदाता को ऐसी सूचना के साथ या इन नियमनों के प्रावधानों के अनुरूप एक नया नामांकन अलग से भेजना होगा।

५ नामांकन में अंशदाता नि नलिखित बातें दर्ज करा सकता है :-

ए) किसी विशेष नामांकित व्यक्ति के संदर्भ में यदि पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो उन नामांकित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार उस व्यक्ति या व्यक्तियों को मिल जाएगा जो नामांकन में वर्णित हो सकते हैं, बशर्ते कि वह व्यक्ति या व्यक्तियों को यह अधिकार तभी मिलेगा जब अंशदाता के परिवार में अन्य सदस्यों में से कोई होगा। जब कोई अंशदाता इस क्लॉज के तहत ऐसा अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को देता है तो वह खाते में जमा राशि को इस तरीके से उल्लेखित करेगा कि उनमें से प्रत्योक को कितनी कितनी राशि मिलनी चाहिए ताकि पूरी देय राशि का हिसाब-किताब हो जाए।

बी) कि वहां दर्ज नामांकन किसी संभावित घटना/दुर्घटना होने पर अमान्य हो जाएगा।

बशर्ते कि यदि नामांकन करते समय अंशदाता के परिवार में केवल एक सदस्य हो तो वह नामांकन में यह दर्ज कराएगा कि क्लॉज ए के अधीन अधिकारप्राप्त वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति उसके साथ संभावित घटना की सूरत में अमान्य हो जाएगा और तदनंतर उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को वह अधिकार मिल जाएगा।

६ उपनियमन (५) की क्लॉज (ए) के अधीन नामांकन में उस नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के तत्काल बाद जिसके लिए वहां यह विशेष प्रावधान किया गया था या ऐसी वजह से घटित संभावना पर, जिसमें उपनियमन ५ की क्लॉज बी के चलते नामांकन अमान्य हो गया हो या उससे संबंधित प्रावधान की सूरत में अंशदाता नामांकन रद्द करने की लिखित सूचना लेखा अधिकारी को भेजेगा, साथ में इस नियमन के प्रावधानों के अनुरूप नया नामांकन भी भेजना होगा।

७ अंशदाता की ओर से किया गया प्रत्येक नामांकन और उसे रद्द करने की प्रत्येक सूचना कि वह मान्य है, को उस तिथि से प्रभावी माना जाएगी जब वह लेख अधिकारी को मिल जाती है।

८ यदि अंशदाता का परिवार नहीं है या कोई और अन्य व्यक्ति नहीं है, नियमनों में परिभाषित उसके पारिवारिक नामांकित को छोड़कर अंतिम कॉलम में नामित नामांकित व्यक्ति के अधिकार उसके परिवार से ही किसी अन्य व्यक्ति के हा जाएंगे।

१० एक अशंदाता अपने सेवाकाल के दौरान किया नामांकन अपनी सेवानिवृत्ति आदि के बाद भी बदल सकता है, वह भी तब तक जब तक अंशदाता के खाते में जमा राशि असल में अदा नहीं कर दी जाती। बशर्ते संशोधित नामांकन के बदलावों और उन्हें संबंधित सामान्य भविष्य निधि नियमनों के प्रावधानों के अनुरूप अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।

११ अंशदाता की मृत्यु से बहुत पहले ही कार्यालय प्रमुख में जमा भविषय निधि हेतू नामांकन को मान्य नामांकन के रूप में माना जाना चाहिए। इस तथ्य से इतर कि वह अंशदाता की मृत्यु से पूर्व लेखा अधिकारी के पास नहीं पहुंचा था।

१२. १ अंशदाता की मृत्यु होने पर भले ही नामांकित व्यक्ति भविष्य निधि में जमा राशि प्राप्त करने को अधिकृत हो लेकिन

वह किसी अन्य व्यक्ति को वह राशि प्राप्त करने को अधिकृत नहीं कर सकता।

२ मृत अंशदाता के उत्तराधिकारियों को लागू पर्सनल लॉ के अधीन भविष्य निधि की राशि में से उनका हिस्सा मांगने का अधिकार मांगने की हमेशा खुली छूट मिली रहती है। ऐसे में यदि कोई न्यायालय यह आदेश पारित करे कि राशि का भुगतान नामांकित या नामांकितों को करने से पूर्व उनके अलावा अन्य लोगों को किया जाए तो अदालत के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी, भले ही नामांकन मान्य हो या नहीं।

नोट:- ए) यदि मामला अदालत में विचाराधीन है तो भविष्य निधि कोष की राशि नामांकित व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए

बी) ऐसे मामलों में जहां अदालती मुकदमा दायर किए जाने की संभावना लगती हो तो संबंधित विभाग प्रमुख मुकदमा दर्ज करने के इच्छुक पक्ष को यह लिखित सूचना भेजेंगे कि पोर्ट ट्रस्ट चुनिंदा दिनों के भीतर भुगतान करने का इच्छुक है।

सी) निचली अदालत द्वारा आदेश पारित होने के बाद चुनिंदा पक्ष उसके फैसले को चुनौती देने का इच्छु हो तो संबंधित विभाग प्रमुख को चाहिए कि वह अदालती लड़ाई हार चुके पक्ष को यह लिखकर भेजे, वह भी पर्याप्त अवधि के भीतर कि यदि वह अदालत से 'स्टे' हासिल नहीं करते तो राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

डी) संबंधित विभाग प्रमुख को उपरोक्त तीनों किस्म के मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए जब तक अंतिम भुगतान का आवेदन लेखा अधिकारी तक नहीं पहुंच जाता। आवेदन भेजने के बाद लेखा अधिकारी और संबंधित विभाग प्रमुख दोनों की जि मेदारी बन जाती है और दोनों में से किसी को भी कोई जानकारी मिले तो वह आपस में साझा करें।

७ अंशदाता का खाता

प्रत्येक अंशदाता के नाम पर एक खाता खोला जाएगा जिसमें बताना होगा :-

१ उसका अंशदान

२ अंशदानों पर ब्याज, जो नियमन १२ में उपलब्ध है

३ निधि कोष से अग्रिम और निकासी

४ अग्रिम का निधिकोष से पुनर्भुगतान।

नोट:- अंशदाता को प्रदत्त सामान्य भविष्य निधि कोष खाता सं या को एक रबर स्टांप के जरिये उसकी सर्विस बुक/सर्विस रोल के पहले पन्ने पर ऊपर दायीं ओर दर्ज करना चाहिए।

८ अंशदान की शर्तें :-

१ अंशदान अपनी निलंबन अवधि को छोड़कर मासिक अंशदान निधि कोष में जमा कराएगा।

बशर्ते कि यदि अंशदाता अपनी मर्जी से अवकाश के दौरान अंशदान न करना चाहे, जिसमें या तो अवकाश वेतन नहीं होता या अवकाश वेतन आधे वेतन के बराबर या उससे कम रहता है।

बशर्ते कि निलंबन अवधि पूरी होने के बाद बहाल होने वाले अंशदाता को एकमुश्त या किश्तों में अंशदान के भुगतान का विकल्प उपलब्ध होगा यानी ऐसी कोई भी राशि जो उस अवधि के लिए अधिकतम बकाया अंशदानों से अधिक न हो।

नोट :- किसी अंशदाता को उस अवधि के दौरान अंशदान की जरूरत नहीं जिसमें वैध रूप से कोई कामकाज नहीं हुआ।

२ अंशदाता को उपनियमन (१) के पहले प्रावधान में संदर्भित अवकाश के दौरान अंशदान नहीं करने की सूचना देनी होगी, वह भी नि नलिखित तरीके से –

ए) यदि वह अधिकारी है तो अवकाश पर जाने से पूर्व लेखा अधिकारी को लिखित में बताएगा।

बी) यदि वह अधिकारी नहीं है तो अवकाश पर जाने से पूर्व कार्यालय प्रमुख को लिखित में बताएगा। समय पर सूचित नहीं करने का मतलब होगा कि अंशदाता ने अंशदान का विकल्प चुना है। अंशदाता का इस उपनियमन के तहत सूचना का विकल्प अंतिम होगा।

३ नियमन–२० के अधीन निधि कोष में उसके नाम पर दर्ज निधि कोष में जमा राशि यदि कोई अंशदाता निकालता है तो ऐसी निकासी के उपरांत वह तब तक अंशदान नहीं करेगा जब तक कि वह काम पर लौट नहीं आता।

४ उपनियमन (१) में वर्णित किसी भी पहलू से इतर, एक अंशदाता उस महीने के लिए निधिकोष में अंशदान नहीं देगा जिसमें उसने नौकरी छोडी हुई है, बशर्ते ऐसा उक्त महीना शुरू होने से पहले हो, वह उस महीने के लिए अंशदान का विकल्प लिखित में कार्यालय प्रमुख को भेजेगा।

५ सेवानिवृत्ति के समीप कर्मचारी को जीपीएफ में अंशदान करने से छूट होगीञ उसकी सेवा के अंतिम तीन महीनों के दौरान अंशदान बंद कर देना अनिवार्य होगा और यह वैकल्पिक नहीं होगा।

६ कोई कर्मचारी यदि चाहे तो अपने बोनस की पूरी रकम या उसका हिस्सा अंतरिम राहत आदि अपन खते में जमा कर सकता है।

९ अंशदान की दरें :–

१ अंशदान की राशि अंशदाता द्वारा स्वयं निर्धारित होगी जो नि नलिखित शर्तों के विषयाधीन होगी, नामत:

ए) इसे पूर्ण रुपए में अभिव्यक्त करना होगा

बी) यह राशि कितनी भी हो सकती है, जो उसके वेतन के ६ फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए और कुल वेतन से अधिक नहीं।

सी) जब कोई कर्मचारी न्यूनतम ६ फीसदी की दर पर अंशदान का विकल्प चुनता है तो एक रुपए के खंड को निकटवर्ती पूरे रुपए के समीपवर्ती रूप में माना जाएगा, ५० पैसे को अलग रुपए में गिना जाएगा।

२ उपनियमन (१) के उद्देश्य के लिए अंशदाता के वेतन में शामिल होगा :–

ए) ऐसा अंशदाता जो विगत वर्ष ३१ मार्च तक बोर्ड की सेवा में बना रहा तो वह सभी वेतन जिनका वह उस तिथि पर पात्र था, बशर्ते कि –

१ यदि अंशदाता उक्त तिथि को अवकाश पर था और उसने उस दौरान अंशदान नहीं करने का विकल्प चुना या उस तिथि पर वह निलंबित रहा था तो उसके वेतन वह होंगे जिनके लिए वह अपने कामकाज पर लौटने के बाद पहले दिन पर पात्र बना था।

२ यदि अंशदाता उस तिथि पर भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उस तिथि पर अवकाश पर था और निरंतर छुट्टी पर

बना रहा तथा उस दौरान उसने अंशदान का विकल्प चुना तो उसके वेतन-भत्ते वही होंगे जो उसके भारत में उपस्थित रहने के दौरान बनते।

बो) ऐसे अंशदाता के मामले में जसे अगले वर्ष की ३१ मार्च को बोर्ड की सेवा में रहा तो उसके वेतन वही होंगे जिनका वह निधि कोष में प्रवेश की तिथि पर पात्र था।

३ अंशदाता प्रत्येक वर्ष नि नलिखित तरीके से अपने मासिक अंशदान की राशि तय करने की सूचना देगा।

ए) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की ३१ तारीख को ड्यूटी पर था तो उस कटौती के रूप में उस महीने के वेतन बिल से इस दिशा में भुगतान करे।

बी) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की ३१ मार्च को अवकाश पर था और उसने उस अवधि के दौरान अंशदान नहीं करने का विकल्प चुना या वह उस तिथि पर निलंबित था तो उस कटौती के रूप में, जो वह अपने काम पर लौटने के बाद पहले वेतन बिल से भुगतान करता है।

सी) यदि उसने वर्ष के दौरान पहली बार बोर्ड की सेवा में प्रवेश किया है तो उस कटौती के रूप में जो उसने निधि कोष में प्रवेश करने के दौरान उस महीने के वेतन बिल से भुगतान करने से किया।

डी) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष के ३१ मार्च को अवकाश पर था और अवकाश पर ही बना रहा और उसने उस दौरान अंशदान का विकल्प चुना तो कटौती के रूप में उस महीने के वेतन बिल से किया गया भुगतान होगा।

ई) यदि वह पूर्ववर्ती वर्ष की ३१ मार्च को विदेश सेवा में कार्यरत था तो उस राशि के रूप में जो उसके द्वारा चालू वर्ष के अप्रैल के लिए अंशदान के रूप में बोर्ड के खाते में जमा कराई।

४ इस तरह निर्धारित अंशदान की राशि हो सकती है :-

ए) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार घटाई गई

बी) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई गई या

सी) उपरोक्त तरीके से बढ़ाई या घटाई गई।

बशर्ते कि जब अंशदान की राशि इस तरह घटाई जाती है तो वह उपनियमन (१) में वर्णित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी।

बशर्ते यह भी कि यदि कोई अंशदाता बिना वेतन अवकाश पर है या किसी महीने के एक हिस्से के लिए आधे वेतन के अवकाश पर है और उसने उस दौरान अंशदान नहीं करने का विकल्प चुना है तो देय अंशदान की राशि उपरोक्त संदर्भित राशियों के अलावा अवकाश सहित, यदि है तो, उसके कामकाज पर बिताए दिनों की सं या की औसत में होगी।

१० विदेश सेवा पर स्थानांतरण या विदेश में प्रतिनियुक्ति

जब कोई अंशदाता विदेश सेवा पर स्थानांतरित होता है या विदेश में प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो वह उसी तरीके से अंशदान करेगा जैसा कि वह स्थानांतरित या प्रतिनियक्ति पर नहीं गया था।

११ अंशदान की प्राप्ति

१ जब वेतन भारत में आहरित होते हैं तो उन वेतनों पर अंशदान की प्राप्ति और अग्रिम राशि का मूल और ब्याज उन्हीं वेतनों से वसूला जाएगा।

२ यदि वेतन किसी अन्य स्रोत से आहरित हैं तो अंशदाता अपना मासिक बकाया लेखा अधिकारी को प्रेषित करेगा –

बशर्ते यदि कोई अंशदाता सरकार से स्वामित्व वाली या नियंत्रण वाली किसी कॉर्पोरेट इकाई में प्रतिनियुक्ति पर है ता अंशदान उसी इकाई द्वारा वसूला जाएगा और लेखा अधिकारी को भेज दिया जाएगा।

३ यदि कोई अंशदाता निधि कोष में प्रवेश की तारीख से प्रभावी अंशदान जमा करने में असफल रहता है या नियम–८ में उपलब्ध प्रावधान के अलावा एक वर्ष के दौरान किसी महीने या महीनों में दोषी रहता है तो अंशदानों के निधि कोष मं बकाया की कुल राशि नियमन १२ में उपलब्ध ब्याज दर के साथ अंशदाता द्वारा निधि कोष में जमा कराई जानी होगी या दोषो रहने पर लेखा अधिकारी के आदेश पर अंशदाता के वेतनों से किश्तों में या अन्य तरीकों से कटौती के रूप में वसूली जाएगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रिम की अनुमति के निर्देश दिए गए हों जिसके लिए नियमन–१३ के उपनियमन–२ के अधीन आते आवश्यक कारणों सहित होंगे।

बशर्ते कि निधि कोष में जिन अंशदाताओं की जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं होता उन्हें कोई ब्याज भुगतान की आवश्यकता भी नहीं।

बशर्ते कि इस नियमन के उपनियमन २ में प्रदत्त प्रावधान के अनुरूप कोई राशि जमा कराई जाती है तो वह राशि उस महीने की पहली तारीख मानी जाएगी। यदि वह उस महीने की १५ तारीख से पूर्व लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई है।

१२ ब्याज :–

१ इस नियमन के उपनियमन–५ के प्रावधानों के विषयाधीन, बोर्ड अंशदाता के खाते में ब्याज उस दर से जमा कराएगा जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित गणना के तरीके से प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित की गई हो।

बशर्ते कि यदि एक वर्ष के लिए निर्धारित ब्याज दर ४ फीसदी से कम है तो सभी अंशदाता पूर्ववर्ती वर्ष में निधि कोष में जमा ब्याज दर से होगी जिसके लिए पहली बार निर्धारित ४ फीसदी से कम दर को ४ फीसदी ब्याज दर के रूप में अनुमति होगी।

बशर्ते कि यदि कोई अंशदाता केंद्र सरकार के किसी अन्य भविष्य निधि कोष में पहले अंशदान करता आ रहा था और उसके अंशदान पर आहरित ब्याज सहित नियमन २३ के अधीन उसके निधि कोष के खाते में हस्तांतरित कर दिए गए हैं तो उन पर भी ४ फीसदी ब्याज दर की अनुमति होगी यदि वह इस नियमन के पहले प्रावधानों की ही तरह ऐसे अन्य भविष्य निधि प्रावधान के तहत ब्याज दर प्राप्त कर रहा है।

२ प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन से प्रभावी ब्याज की राशि नि नलिखित तरीके से जमा होगी –

१ पूर्वर्ती वर्ष के अंतिम दिन पर अंशदाता के खाते में जमा राशि, १२ महीनों के लिए चालू वर्ष के दौरान निकाली गई किसी भी राशि पर ब्याज

२ चालू वर्ष के शुरू से लेकर निकासी के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन तक चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि।

३ पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन के बाद चालू वर्ष के अंत तक जमा कराई गई कुल राशि की तिथि से ब्याज

४ ब्याज की कुल राशि पूर्ण रुपए के समीपवर्ती अंक तक आंकी जाएगी (५० पैसे की गणना अगले रुपए के रूप में होगी)

बशर्ते कि जब अंशदाता के खाते में जमा राशि जो देय हो गई है तो उस पर ब्याज इस नियमन के अधीन केवल चालू वर्ष के शुरू की अवधि के ही दौरान जमा कराया जाएगा या जमा कराए जाने की तिथि से होगा, मामला जैसा भी हो, यानी उस तारीख तक जिसमें अंशदाता के खाते में जमा राशि देय हो जाए।

३ इस नियमन में वेतन भत्तों से वसूलियों के मामले में जमा करने की तिथि महीने की पहली तारीख मानी जाएगी जिसमें वह वसूली हुई और अंशदाता द्वारा प्रेषित राशियों के मामले में यह तिथि महीने की पहली तिथि मानी जाएगी, यदि वह उस महीने की ५वीं तिथि पर या उसके बाद अगले महीने की पहली तिथि तक प्राप्त हुई हो।

बशर्ते किसी अंशदाता के वेतन या अवकाश वेतन और भत्तों की निकासी में विलंब हुआ है और तदनुसार निधि कोष में अंशदान की वसूली और उन पर देय ब्याज उसी महीने से देय होगा, जिसमें नियमनों के तहत अंशदाता का वेतन या अवकाश वेतन देय था, फिर भले ही असल में वेतन किसी भी महीने में क्यों न निकाला गया हो।

बशर्ते कि नियमन ११ के उपनियमन २ के प्रावधानों के अनुरूप यदि कोई राशि प्रेषित हुई है तो जमा करने की तिथि उस महीने की पहली तारीख मानी जाएगी। यदि वह उस महीने की १५ तारीख से पहले लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई है।

बशर्ते की जहां किसी महीने का वेतन उस महीने के अंतिम कार्यदिवस पर निकाला गया और बांटा गया तो उसके अंशदानों की वसूली के मामले में राशि जमा करने की तिथि अगले महीने की पहले तिथि मानी जाएगी।

४ नियमन १९, २० और २१ के अधीन अदा की जाने वाली किसी भी राशि के अलावा अगले महीने के अंत तक जिसमें भुगतान किया गया, उस पर अपेक्षित ब्याज जिसमें वह राशि उस महीने से छठे महीने के अंत तक देय हुई यानी इन अवधियों में से जो भी कम हो वह राशि उस व्यक्ति को देय होगी, जिसे दी जानी है।

बशर्ते कि जहां लेखा अधिकारी ने उसके एजेंट के लिए उस व्यक्ति को सूचित कर दिया है कि जिस तिथि पर वह नकद भुगतान को तैयार है या उस व्यक्ति को भुगतान का चैक प्रेषित कर दिया है तो उस पर ब्याज केवल उस तिथि से अगले महीने के अंत तक ही देय होगा जो सूचित की गई या जिस दिन चैक प्रेषित किया गया यानी जैसी भी परिस्थिति हो।

बशर्ते कि जहां कोई अंशदाता किसी कॉर्पोरेट इकाई, सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित या स्वायत्त संस्था, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० (१८६० का २१) के अधीन पंजीकृत संगठन में प्रतिनियुक्त है, उसे उस कॉर्पोरेट इकाई या संगठन में तदनंतर समाहित किया जाएगा, अंशदाता के निधि संचयन पर . . . . को देय ब्याज के आकलन के उद्देश्य हेतू पूर्वव्यापी तिथि से प्रभावी होगा, समाहित किए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाने की तिथि वही मानी जाएगी जिस पर अंशदाता के खाते में जमा कराने हेतू देय थी, बशर्ते कि वह राशि समाहित किए जाने की तिथि से शुरू होकर संबंधित आदेश जारी होने की तारीख के अंत तक अवधि के बीच वसूली गई राशि केवल निधि कोष का अंशदान मानी जाएगी या इस

उननियमन के अधीन ब्याज भुगतान के उद्देश्य से।

नोट :- निधि कोष शेष रकम पर ब्याज का भुगतान छह महीने की अवधि से लेकर एक साल से अधिक होने पर लेखा अधिकारी द्वारा स्वयं इस बात पर संतुष्ट हो जाने के बाद अधिकृत किया जा सकता है कि भुगतान मं विलंब अंशदाता या उस व्यक्ति जिसे भुगतान किया जाना था, के परिस्थितिवश जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं, की वजह से हुआ और ऐसे प्रत्येक मामले में प्रशासकीय विलंब को पूरी तरह जांचा-परखा जाएगा और देखा जाएगा कि वहां अपेक्षित कार्यवाही हई।

५ अंशदाता के खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा, यदि वह लेखा अधिकारी को सूचित कर दे कि वह यह प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन यदि वह तदनंतर ब्याज के लिए कहता है तो वह उस साल के पहले दिन से ही प्रभावी ब्याज जमा कर दिया जाएगा जिसमें उसने ऐसा करने को कहा था।

६ राशियों पर जो ब्याज नियमन ११ के उपनियमन ३, नियमन १९ या नियमन २० के अधीन निधि कोष में अंशदाता के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था, का आकलन उस दर पर होगा जो इस नियमन के उपनियमन १ के अधीन क्रमश: वर्णित हो सकते हैं और यथासंभव उन तौरतरीकों के साथ जो नियमनों में प्रदत्त हैं।

७ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित प्रतिवर्ष फीसदी ब्याज दरों को इन नियमनों के अधीन ब्याज का आकलन करने हेत् अपनाया जाएगा।

८ जब अंशदाता किसी महीने की अंतिम तिथि पर सेवानिवृत्त होता है, नियमन १२ (४) आईबीआईडी के उद्देश्य हेतू छह महीने की अवधि की गणना उसके तत्काल अगले महीने को छोड़कर की जानी चाहिए यानी जब कोई अंशदाता ३१ मई को सेवानिवृत्त होता है तो छह महीने की अवधि की गणना जुलाई से दिसंबर तक होनी चाहिए।

९ जब किसी अंशदाता की मृत्यु सेवानिवृत्ति होने से पूर्व किसी महीने की अंतिम तिथि पर दोपहर से पूर्व हो जाती है तो नियमन १२ (४) आईबीआईडी के उद्देश्य हेतू छमाही अवधिकी गणना उसकी मृत्यु वाले महीने के बाद दूसरे महीने से की जाएगी।

१३ निधि कोष से अग्रिम

किसी अंशदाता को पूर्ण रुपए की राशि को अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने वाला उचित प्राधिकारी, जो तीन महीने के वेतन की राशि से अधिक न हो या निधि कोष में उसके खाते की जमा राशि से आधा हो, यानी जो भी कम हो, को नि नलिखित किसी एक या अधिक कारणों से स्वीकृत कर सकता है।

ए) उसकी बीमारी, सजा/प्रसूति/या जहां आवश्यक हो, उसके सहित विकलांगता, अंशदाता और उसके परिजनों का यात्रा खर्च या असल में उस पर निर्भर लोगों का यात्रा खर्च का भुगतान करने के संबंध में -

बी) उच्च शिक्षा, जहां आवश्यक हो अंशदाता और उसके परिजनों या असल में उस पर निर्भर किसी भी व्यक्ति के यात्रा खर्च की आपूर्ति करना, जिनमें नि नलिखित शामिल हैं - नामत:

१ हाई स्कूल से आगे भारत से बाहर शिक्षादीक्षा, तकनीकी पेशेवराना या वोकेशनल कोर्स की शिक्षा हेतू

२ हाई स्कूल से आगे भारत में किसी भी किस्म की मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष कोर्स की पढ़ाई

हेतू, बशर्ते कि वह कोर्स तीन वर्ष से कम अवधि का न हो।

सी) अंशदाता के स्तर के वेतनमान के अनुरूप अनिवार्य खर्चों के भुगतान हेतू जिनमें अंशदाता को सगाई या शादी-ब्याह, शव यात्राओं या अन्य समारोहों के संदर्भ में निभाई जाने वाली सामाजिक परंपराओं के निर्वहन पर होने वाले खर्च की भरपाई।

डी) अंशदाता द्वारा या उसके खिलाफ शुरू की गई कानूनी प्रक्रियाओं का खर्च वहन करने हेतू, उसके परिवार का कोई सदस्रू या असल में उस पर निर्भर कोई व्यक्ति, ऐसे मामले में अग्रिम राशि इसी उद्देश्य के साथ किसी अन्य सरकारी स्रोत से प्राप्त की गई अग्रिम राशि के अतिरिक्त उपलब्ध होगी।

ई) उसके द्वारा किसी भी कथित आधिकारिक दुर्व्यवहार के संदर्भ में जारी जांच के दौरान अपने बचाव में किसी कानूनविद् की सेवाएं लेने हेतू अंशदाता के खर्च का वहन करने हेतू।

एफ) अपने आवासन हेतू कोई भूखंड/या मकान या लैट का खर्च वहन करने हेतू या राजकीय विकास प्राधिकरणों या प्रदेश आवासन बोर्डों या को-ऑपरेटिव एक्ट के अधीन आती उचित सहकारी समितियों द्वारा आवंटित भूखंड और/या मकान के आवंटन की दिशा में किए गए भुगतान हेतू।

१. ए) विशेष परिस्थितयों में चेयरमैन चाहें तो किसी अंशदाता को अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति दे सकते हैं, यदि बह इस बात से संतुष्ट हों कि संबंधित अंशदाता को उपनियम (१) में वर्णित कारणों से इतह अग्रिम की आवश्यकता है।

२) लिखित में दर्ज किये जाने वाले विशेष कारणों को छोड़ कर किसी अंशदाता को अग्रिम उप-नियमन (१) में प्रदत्त सीमा से अधिक स्वीकृत नहीं होगा या तब तक नहीं जब तक किसी पूर्व अग्रिम की अंतिम किश्त का पुनर्भुगतान नहीं. कर दिया जाता

३) जब किसी पूर्ववर्ती अग्रिम की अंतिम किश्त के पुनर्भुगतान की पूर्ति से पूर्व उपनियम दो के अधीन कोई अग्रिम स्वीकृत होता है तो पूर्व अग्रिम का बकाया उस स्वीकृत अग्रिम में जोड़ा जाएगा और किश्त की बहाली सकल राशि के साथ जोड़ दी जाएगी।

नोट :- १ इस नियमन के अधीन कोई अग्रिम नि न लिखित उद्देश्य के लिये भी स्वीकृत हो सकता है।

ए) ऐसे व्यक्ति के पहले वार्षिक श्राद्ध के आयोजन हेतु जो अपनी मृत्यु से पूर्व अंशदाता के परिवार का सदस्य था या उसपर निर्भर था।

बी) अंशदाता या उसके बेटों या उसकी बेटियों या वास्तविकता में उस पर निर्भर महिला सगे संबंधि की सगाई / विवाह हेतु।

सी) कार / मोटरसाईकल / स्कूटर / मोपेड की खरीद हेतु।

२) इस ''वेतन'' में मंहगाई भत्ता शामिल है जहां लागू हो।

३) उचित स्वीकृति प्राधिकारी बह अधिकारी होगा जिसे चेयरमैन द्वारा अधिकृत किया गया होगा।

४) एक अंशदाता को नियमन १३ के उपनियमन (१) से मद (बी) के अधीन हर छः महीने में एक बार अग्रिम प्राप्त

करने की अनुमति होगी।

५) नियमन १३ के उपनियमन (१) में मद (बी) के उद्देश्य हेतु तकनीकी विशेषज्ञता के रूप में जो कोर्स पढ़ाई के लिये होंगे वे नि नलिखित होंगे –

ए) मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग एवं

टैक्नोलॉजी के विभिन्न फील्ड्स में डिप्लोमा कोर्स उदाहरणतय: सिविल इंजीनियरिंग, मकैनीकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, टेलेकॉ यूनीकेशन, रेडियों इंजीनियरिंग, मैटालर्जी ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग, टैक्सटाईल टैक्नोलॉजी, लैदर टैक्नोलॉजी, प्रिंटिग टैक्नोलॉजी, कैमीकल टैक्नोलॉजी इत्यादि।

बी) मान्यताप्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी के विभिन्न फील्ड्स में डिग्री कोर्स

उदाहरणतय: सिविल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, टेले–इलैक्ट्रीकल कॉ यूनीकेशन इंजीनियरिंग एवं इलैक्ट्रोनिक्स, माईनिंग इंजीनियरिंग, मैटालर्जी, ऐरोनोटीकल इंजीनियरिंग, कैमीकल इंजीनियरिंग, टैक्सटाईल टैक्नोलॉजी, लैदर टैक्नोलॉजी, फारमेसी, सिरामिक इत्यादि ।

सी) मान्यताप्राप्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग एवं टैक्नोलॉजी के विभिन्न फील्ड्स में पोस्ट ग्रेजुऐट कोर्सिज़।

डी) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित आर्कीटैक्चर, टाऊन प्लानिंग एवं संबंधित फील्ड्स में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स ।

ई) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित डिप्लोमा एंड सर्टीफिकेट कोर्स इन कॉमर्स ।

एफ) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित डिप्लोमा कोर्स इन मैनेजमेंट।

जी) मान्यताप्राप्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित आर्कीटैक्चर, वैटर्नरी साईंस एवं संबंधित विषयों में डिग्री कोर्स।

एच) जूनियर टैक्नीकल स्कूल द्वारा आयोजित कोर्सिज़।

आई) श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित कोर्सिज़। (डी. जी. ई. एवं टी.)

जे) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित आर्ट / एप्लाईड आर्ट एवं संबंधित विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सिज़।

के) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा ड्रा ट्समैनशिप कोर्सिज़।

एल) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित मैडिकल कोर्सिज़ (एलोपैथिक, होमोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सिस्टम सहित)।

एम) बी.एससी (होम साईंस) कोर्स

एन) मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स।

ओ) डिग्री एंड पोस्ट ग्रैजुऐट कोर्सिज़ इन होम साईंस।

पी) प्री-प्रोफैशनल कोर्स इन मैडिसिन, यदि मैडिसिन में नियमित ५ वर्ष कोर्स का भाग है।

क्यू) पीएच.डी इन बायो कैमिस्ट्री।

आर) फिज़िकल ऐजूकेशन में बेचलर एवं मास्टर डिग्री कोर्सिज़।

एस) डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुऐट कोर्स इन लॉ।

टी) ''ऑनर्स'' कोर्स इन माईक्रोबायोलॉजी।

यू) एसोसिएटशिप ऑफ द इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टेड अकाऊंटैंट।

वी) एसोसिएटशिप ऑफ द इंस्टीच्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाऊटैंट ।

डब्ल्यू) डिग्री एंड मास्टर कोर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के साथ डिग्री पोस्ट- ग्रैजुऐट डिप्लोमा कोर्स इन लेबर/सोशल वेलफेयल पर्सनल मैनेजमेंट एवं या इंडस्ट्रीयल रिलेशन।

एक्स)डिप्लोमा कोर्स इन होटल मैनेजमेंट

वाई) एम. एससी कोर्स इन स्टैटिक्स

जेड) मास्टर ऑफ ऐजूकेशन एवं बैचलर ऐजूकेशन

एए) द क पनी सैकरेटरीशिप कोर्स ऑफ द् इंस्टीच्यूट ऑफ कपनी सेकरेटरी ऑफ इंडिया।

एबी) द कोर्स ऑफ प्री-सी ट्रेनिंग इ पार्टेड ऑन द ट्रेनिंगशिप ''राजेन्द्रा'' टू प्रोस्पैक्टिव नेवीगेटिंग ऑफीसर्ज़ ऑन मर्कैंटशिप्स।

एसी) डायरैक्टोरेट ऑफ मैरिन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में आयोजित मैरिन इजीनियरिंग में कोर्स।

एडी) नैशनल डिफैंस अकैडमी, खड़कवासला, मे दाखिले हेतु प्रारंभिक प्रभारों का भुगतान भी अग्रिमों एवं अंतिम निकासियों के लिये पात्र होगा।

६) अंशदाता को अग्रिम / अंतिम निकासी की चेयरमैन द्वारा स्वीकृति में छूट का नियम नि नलिखित है:-

१- नियमन१३ के अधीन वर्णित उद्देश्यों से इतर उद्देश्यों के लिये अग्रिम जीपीएफ अंशदाताओं के खाते में कुल जमा शेष राशि की ९० फीसदी सीमा तक।

२- अंशदाता के खाते में जमा कुल शेष राशि की ९० फीसदी राशि की निकासी जो इस संदर्भ में नियमन १६ और १७ के अधीन वर्णित शर्तों के विषयाधीन होगी।

१४) अग्रिम की वसूली:-

१) अंशदाता से अग्रिम की वसूली स्वीकृत अधिकारी द्वारा निर्देशित बराबर मासिक किश्तों की सं या में वसूली जाएगी जो अंशदाता द्वारा चयन किये जाने के अलावा १२ से कम नहीं होगी और २४ से ज्यादा नहीं होगी। विशेष मामले में जहां नियमन १३ के उपनियमन (२) के अधीन अग्रिम की रीशि अंशदाता के तीन महीन के वेतन से ज्यादा हो तो स्वीकृति प्राधिकारी ऐसी किश्तों की सं या २४ से ज्यादा निर्धरित कर सकता है। लेकिन वह किसी भी मामले में ३६ से ज्यादा नहीं होगी। यदि अंशदाता चाहे तो`क महीने में एक से ज्यादा किश्त अदा कर सकता है। हर किश्त की राशि पूर्ण रूपये में होगी,

बढ़ाये जाने वाली या घटाये जाने वाली अग्रिम की राशि, यदि आवश्यक हो तो ऐसी किश्तों के निर्धारण में ऐसा करना होगा।

२) अग्रिम की वसूली अंशदानों की प्राप्ति हेतु नियमन ११ में वर्णित तरीके से होगी। और वह उस महोने के आगले महीने का वेतन जारी होने के साथ शुरू होगी जिस में अग्रिम राशि निकाली गई। गुजारा भत्ता अनुदान की पावती या किसी महीने में कुछ दिनों अथवा ज्यादा दिनों पर अवकाश की सूरत में जिन के लिये कोई अवकाश वेतन नहीं दिया जाता या उसके लिये आधे वेतन से कम या आधे औसत वेतन के बराबर अवकाश वेतन मिलता है। अर्थात मामला जैसा भी हो वहां कोई भी वसूली अंशदाता की सहमति के बिना नहीं होगी। अंशदाता को अग्रिम प्रदत्त वेतन की वसूली के दौरान उसके लिखित आग्रह पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा वसूली को स्थगित किया जा सकता है।

३) यदि किसी अंशदाता को अग्रिम प्रदान किया गया हो और उस के द्वारा निकासी कर ली गई हो, लेकिन तदनन्तर पुनर्भुगतान पूरा होने से पहले ही अग्रिम को अस्वीकार कर दिया गया हो, तो पूरी अग्रिम राशि या निकाली गई राशि का शेष, अंशदाता द्वारा निधि कोष को तत्काल लौटाना होगा या ऐसा नहीं कर पाने की सूरत में लेखा अधिकारी इस बात के आदेश देंगे कि वह राशि अंशदाता के वेतन भत्तों से एक मुश्त या मासिक किश्तों में काट ली जाए जो स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अग्रिम की स्वीकृति द्वारा निर्देशित होगा और जिसके लिये नियमन १३ के उपनिमन (२) के अधीन विशेष कारणों का उल्लेख आवश्यक होगा।

बशर्ते कि ऐसे अग्रिम को अस्वीकार करने से पूर्व अंशदाता को स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष लिखित मेंअपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और इस पत्राचार की पावती के १५ दिनों के भीतर बताना होगा कि पुनर्भुगतान प्रभावी क्यों नहीं हुआ , और यदि अंशदाता द्वारा १५ दिनों की अवधि के भीतर रखा गया तर्क फैसले के लिये चेयरमैन के पास भेजा जाएगा और यदि उसके द्वारा उक्त अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तो अग्रिम का पुनर्भुगतान इस उपनियमन में वर्णित ढ़ंग से कर लिया जाएगा।

४) इस नियमन के अधीन की गई वसूलियों को निधि केष में अंशदाता के खाते में जमा कर दिया जाएगा।

१५) अग्रिम का अनुचित इस्तेमाल :-

इन नियमनों में प्रदत्त पहलुओं से इतर यदि स्वीकृति प्राधिकारी को इस बात का संदेह हो कि नियमन १३ के अधीन निधि कोष से बतौर अग्रिम निकाली गई राशि का इस्तेमाल स्वीकृत कारणों की बजाय किसी अन्य उद्देश्य में खर्च किया गया है तो वह अंशदाता को अपने संदेह का कारण बतायेंगे और उसे लिखित में स्पष्टीकरण देने को कहेंगे। जिसके बाद ऐस पत्राचार के १५ दिनों के भीतर उसे बताना होगा कि

अग्रिम कहां खर्च हुआ। यदि अंशदाता के स्पष्टीकरण से स्वीकृति अधिकारी संतुष्ट ना हो तो वह अंशदाता को संबंधित राशि का तत्काल पुनर्भुगतान करने के आदेश देंगे। ऐसा न करने पर अंशदाता के वेतन से एक मुश्त राशि काट कर वसूली के आदेश दिये जाएंगे, फिर चाहे अंशदाता अवकाश पर ही क्यों न हो। यदि पुनर्भुगतान की कुल रह्वाशि अंशदाता के वेतन भत्तों से आधी से ज्यादा हो तो वसूलियां उस के वेतन से मासिक किश्तों में तब तक काटी जाती रहेंगी जब तक पूरी राशि का भूगतान नहीं कर दिया जाता।

नोट :- नियमन में ''वेतन'' भत्तों में गुजारा भत्ता शामिल नहीं होगा।

१६) निधि कोष से निकासी :-

१. शर्तों के विषयाधीन, नियमन १३ के उपनियमन (२) के अधीन विशेष कारणों के लिये अग्रिम स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय निकासी की स्वीकृति दी जा सकती है।

ए) अंशदाता के सेवा काल में २४ वर्ष पूरे हो जाने के बाद, जिसमें सेवाकाल की खंड अवधियां भी शामिल होंगी, यदि हैं तो, या उसकी सेवा निवृति की तिथि से १० वर्षों की भीतर, जो भी पहले हो, तो नि नलिखित एक या अधिक उद्देश्य के लिये निधि कोष में उसके खाते मेंजमा राशि की निकासी, नामत:

ए) अंशदाता या किसी बच्चे के आवश्यक यात्रा खर्च सहित उच्च शिक्षा पर आने वाले खर्च के लिये नि नलिखित मामलों में नामत: हाई स्कूल के बाद भारत के बाहर शैक्षणिक तकनीकी. पेशेवराना या वोकेशनल कोर्स के लिये, और

२) हाई स्कूल के बाद भारत में ही किसी मेडिकर, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष कोर्स बी) अंशदाता या उसके बेटों या बेटियों और उस पर निर्भर किसी अन्य महिला परिजन की सगाई या शादी पर होने वाले खर्च के लिये।

सी) अंशदाता और उसके परिजनों या वास्तविकता में उसपर निर्भर किसी व्यक्ति के यात्रा खर्च सहित, जहां आवश्यक हो, बीमारी पर होने वाला खर्च।

डी) अंशदाता की सेवा के १० वर्ष पूरे होने पर जिसमें सेवाकाल की खंड अवधि शामिल है या उसकी सेवा निवृति से पूर्व १० वर्ष के भीतर जो भी पहले हो, नि नलिखित एक या अधिक उद्देशयों के लिये निधि कोष में उसके खाते में जमा राशि से नामत:

ए) भूखंड की लागत सहित अपने आवासन हेतु तैयार उपयुक्त मकान या भवन खरीदने हेतु

बी) भूखंड की लागत सहित अपने आवासन हेतु तैयार उपयुक्त मकान या भवन खरीदने हेतु लिये गये ऋण के खाते की बकाया राशि के पुनर्भुगतान हेतु।

सी) अपने आवासन हेतू भूखंड खरीदकर उस पर भवन निर्माण के लिए या इसी उद्देश्य के लिए लिए गए ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान के लिए

डी) अंशदाता द्वारा पूर्व में खरीदे गए किसो मकान या लैट में पुनर्निमाण कराने या अतिरिक्त निर्माण कराने या फेरबदल कराने हेतू

ई) अपने कार्यस्थल से इतर किसी स्थान पर अपने पैतृक मकान के रखरखाव, अतिरिक्त निर्माण या फेरबदल हेतू एफ) क्लॉज (सी) के अधीन खरीदे गए स्थल पर मकान बनाने हेतू

सी) अंशदाता की सेवानिवृत्ति से पूर्व छह महीने के भीतर कृषि भूमि या कारोबारी परिसर खरीदने के उद्देश्य से निधि कोष में अपने खाते में जमा राशि से

नोट :- १ जिस अंशदाता ने मकान बनाने के उद्देश्य से पीपीटी गृह निर्माण ऋण योजना के अधीन अपने लिए ऋण ले रखा है या इस संदर्भ में किसी भी सरकारी स्रोत से सहायता की स्वीकृति दी गई है तो वह इस नियमन की क्लॉज (बी) के उप-

क्लॉज (ए), (सी), (डी) और (एफ) के अधीन इसमें प्रदत्त उद्देश्यों और उपरोक्त योजना के तहत लिए गए किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान हेतू भी के लिए अंतिम निकासी करने का पात्र होगा, ये उप-नियमन १७ के उप-नियमन (१) संबंधी प्रावधान में प्रदत्त सीमा के विषयाधीन होगा।

यदि किसी अंशदाता का पैतृक मकान है या बोर्ड से प्राप्त ऋण की मदद से उसने अपने कार्यस्थल से इतर किसी स्थान पर मकान बना रखा है तो वह क्लॉज (बी) के उप-क्लॉज (ए), (सी) और (एफ) के अधीन भूखंड खरीदने या दूसरा मकान खरीदने या अपने कार्यस्थल पर तैयार लैट खरीदने हेतू अनुदान का पात्र होगा।

नोट-२ : क्लॉज (बी) के उप-क्लॉज (ए), (डी) (ई) और (एफ) के अधीन निकासी को तभी स्वीकृति दी जाएगी जब अंशदाता ने प्रस्तावित मकान बनाने या उसमें रद्दोबदल करने, अतिरिक्त निर्माण करने के लिए वहां संबंधित इलाके की स्थानीय नगर इकाई द्वारा पारित नक्शा जमा करा दिया हो जहां मकान स्थित है और उसी सूरत में जहां नक्शा वास्तविकता में मंजूर होना हो।

नोट-३ : क्लॉज (बी) के उप-क्लॉज (बी) के अधीन स्वीकृत निकासी की राशि आवेदन करने की तिथि पर शेष राशि, जिसमें सब-क्लॉज (ए) के अधीन पूववर्ती निकासी राशि सहित, पूर्ववर्ती निकासी की राशि द्वारा काटी गई, के ३/४ से अधिक नहीं होगी। इसमें जो फार्मूला अपनाया जाएगा उसमें तिथि पर शेष राशि का ३/४, और संबंधित मकान के लिए पूर्ववर्ती निकासी/निकासियों सहित में से पूर्ववती निकासियों को निकाल दिया जाएगा।

नोट-४ : क्लॉज (बी) के उप-क्लॉज (ए) या (डी) के अधीन निकासी को उस सूरत में स्वीकृति नहीं दी जाएगी जहां भूखंड या मकान अंशदाता के पति या पत्नी के नाम हो, बशर्ते वह अंशदाता द्वारा किए बए नामांकन में भविष्य निधि कोष की राशि प्राप्त करने के लिए पहला नामांकित व्यक्ति न हो।

नोट-५ : इस नियमन के अधीन केवल एक निकासी को ही स्वीकृति होगी, लेकिन बच्चों की शादी या शिक्षा या अलग-अलग स्थितियों में बीमारी या मकान/ लैट में रद्दोबदल करने, अतिरिक्त निर्माण करने के लिए वहां संबंधित इलाके की स्थानीय नगर इकाई द्वारा पारित नया नक्शा जमा कराने के बाद जहां मकान या लैट है, जैसे कारणों को वही उद्देश्य नहीं माना जाएगा। उसी मकान को पूरा कराने हेतू क्लॉज (बी) के उप-क्लॉज (ए) या (एफ) के अधीन दूसरी या उसके बाद निकासी को नोट-३ में प्रदत्त सीमा के तहत अनुमति होगी।

नोट-६: इस नियमन के अधीन किसी निकासी को तब स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब नियमन-१३ के अधीन किसी अग्रिम को उसी उद्देश्य व उसी समय पर स्वीकृत किया जा रहा हो।

नोट-७ : नियमन-१३ के क्लॉज (ए) के उप-क्लॉज (ए) के अधीन जिन शैक्षणिक कोर्सेस के लिए निकासी की स्वीकृति दी जा सकती है वे नियमन-१३ के नीचे प्रदत्त नोट (५) के अनुरूप वर्णित होंगे।

१) निधि कोष में उसके खाते में जमा राशि में से नियमन-१६ में वर्णित उद्देश्यों म से किसी एक या अधिक कारणों के लिए अंशदाता द्वारा किसी एक समय निकाली गई कोई राशि सामान्य रूप से उस राशि के आधे या छह महीनों के वेतन के बराबर राशि, जो कम हो, अधिक नहीं होगी। लेकिन स्वीकृति अधिकारी चाहे तो (१) निकासी के उद्देश्य का मान रखते हुए,

(२) अंशदाता का दर्जा देखते हुए और (३) उसके खाते में जमा राशि के मद्देनजर इस सीमा से अधिक यानी निधि कोष में उसके खाते की शेष राशि से ३/४ तक निकासी की स्वीकृति दे सकता है।

२) नियमन १६ के अधीन निधि कोष से राशि निकालने की स्वीकृतिप्राप्त अंशदाता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त निर्धारित समयावधि के भीतर उन्हें संतुष्ट करना होगा कि राशि का इस्तेमाल उसे निकालने की उचित वजह पर ही किया गया है और यदि वह ऐसा करने में नाकाम रहता है तो पूरी राशि या निकाली गई राशि या उसमें से अधिकांश राशि- जो किसी उद्देश्य से निकाली गई है को अंशदाता द्वारा निधि कोष में एकमुश्त जमा कराएगा और ऐसा करने में असफल रहने पर एसी राशि के भुगतान हेतू स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसके वेतन-भत्तों में से एकमुश्त या मासिक किश्तों में, जैसा भी चेयरमैन द्वारा निर्धारित किया गया है, वसूले जाने के आदेश पारित कर सकता है।

बशर्ते कि इस उप-नियमन के अधीन निकासी का पुनर्भुगतान प्रभावी होने से पूर्व अंशदाता को लिखित में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और पत्राचार के १५ दिनों के भीतर कि पुनर्भुगतान क्यों प्रभावी नहीं होगा, यदि स्वीकृति प्राधिकारी इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट न हो या उक्त अवधि के भीतर अंशदाता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता तो स्वीकृति प्राधिकारी इस उप-नियमन में प्रदत्त ढंग से पुनर्भुगतान प्रभावी बनाएगा।

३) जिस अंशदाता को नियमन १६ के उप-नियमन (१) के उप-क्लॉज (ए), (बी) और (सी) के अधीन निधि कोष में उनके खाते में शेष राशि निकालने की स्वीकृति प्राप्त है, वह कब्जे वाला निर्मित मकान, खरीदा गया मकान या बिक्री के मार्फत खरीदा गया भूखंड चेयरमैन की पूर्वानुमति लिए बिना न तो किसी के साथ बांटेगा, न गिरवी (बोर्ड के पास गिरवी रखने के अलावा) रखेगा या न ही उपहार में देगा। उस मकान या भूखंड पर कब्जे को भी वह न तो अदला-बदली से बांटेगा या न ही चेयरमैन की पूर्वानुमति के बिना तीन साल से अधिक के पट्टे पर देगा। अंशदाता प्रत्येक वर्ष ३१ दिसंबर से पूर्व इस आशय का एक शपथ-पत्र देगा कि वह मकान या भूखंड जैसा भी मामला हो, अब भी उसके कब्जे में है या उसे गिरवी नहीं रखा गया या हस्तांतरित नहीं किया गया और आवश्यक हो तो असल सेल डीड और अन्य दस्तावेजों के साथ, जिस पर वह संपत्ति उसके नाम पर दर्ज है, के साथ निर्धारित तिथि पर या उससे पहले चेयरमैन के समक्ष उपस्थित होगा।

४) यदि उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व कभी भी अंशदाता चेयरमैन की पूर्वानुमति लिए बिना अपने कब्जे वाला मकान या भूखंड किसी के साथ बांटता है तो उसके द्वारा निकाली गई राशि निधि कोष में एकमुश्त लौटानी होगी और ऐसा नहों करने की सूरत में उसे स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसके वेतन-भत्तों में से या तो एकमुश्त या मासिक किश्तों में, जैसा भी चेयरमैन द्वारा निर्धारित किया गया हो, वसूली के आदेश दिए जाएंगे।

नोट:

१) एक ही उद्देश्य से लिए जा रहे अग्रिम और अंतिम निकासी को एक-साथ स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति को विशेष उद्देश्य हेतू या तो अग्रिम या अंतिम निकासी की अनुमति नियमन-१६ में वर्णित शर्तों के विषयाधीन दी जानी चाहिए। तदनंतर, जो अग्रिम अंतिम निकासी में परिवर्तित किया जा चुका है को नियमन-१६ के अधीन अंतिम निकासी माना जाना चाहिए यानी यदि किसी व्यक्ति को नियमन-१८ के अधीन अंतित निकासी में परिवर्तित अग्रिम

प्राप्त हुआ है तो उसे नियमन-१६ के अधीन उसी उद्देश्य के लिए कोई अन्य अंतिम निकासी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यही सिद्धांत नियमन-१३ (बी) के अधीन अग्रिम पर भी लागू होगा।

२) अंशदाता को सगाई और शादी-ब्याह दोनों अवसरों पर अंतिम निकासी की अनुमति होगी। प्रत्येक अवसर को इन नियमनों के नियमन-१७ (१) के उद्देश्य से अलहदा माना जाएगा। यही सिद्धांत नियमन-१३ (१) की क्लॉज (सी) के अधीन शादी-ब्याह के लिए अग्रिम पर भी लागू होगी।

३) अंशदाता को किसी भी स्थान पर गृह निर्माण के लिए दूसरी बार निकासी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि उसे उसी उद्देश्य से उसी स्थान या किसी अन्य स्थान के लिए अंतिम निकासी की अनुमति दे दी जा चुकी है। दूसरे शब्दों में एक से अधिक मकानों के लिए अंतिम निकासी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

४) अंशदाता के खाते में जमा राशि के ९० फीसदी तक अंतिम निकासी को चेयरमैन द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।

१८ अग्रिम को निकासी में बदलना:

नियमन-१६ के उप-नियमन (१) में वर्णित किसी भी उद्देश्य हेतू नियमन-१३ के अधीन यदि कोई अंशदाता पहले ही निकासी कर चुका है या भविष्य में करेगा तो वह नियमन १६ और १७ में प्रदत्त शर्तों को पूरा करते हुए प्रत्येक में शेष राशि की अंतिम निकासी के लिए ऐसा अपने विवेकाधीन तरीके से स्वीकृति प्राधिकारी के जरिये लेखा प्राधिकारी को लिखित में आग्रह कर सकता है।

नोट:

१) अग्रिम को निकासी में परिवर्तित करते समय नियमन १७ (१) में सीमाओं हेतू आवेदन के उद्देश्य के लिए खाते में शेष राशि की गणना का तरीका नि नलिखित होगा :

१) नियमन-१८ के अधीन किसी अग्रिम को अंतिम निकासी में परिवर्तित करने के लिए नियमन-१७ (१) के उद्देश्य के लिए शेष राशि का दावा अंशदाता के खाते मे शेष को राशि अंशदान और उस पर बनते ब्याज के साथ-साथ अग्रिम की बकाया राशि के रूप में लिया जाना चाहिए।

२) दूसरे वांछित अग्रिम को अंशदाता की अंतिम निकासी में बदलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि ऐसी वांछित राशि नियमन-१७ में वर्णित सीमा से अधिक न हो। ऐसे मामले में जहां अलग-अलग मौकों पर एक ही उद्देश्य हेतू एक से अधिक अग्रिमों को निजी तौर पर व अलहदा अंतिम निकासी में परिवर्तित करने की अनुमति है, इसके लिए स्वीकृति प्राधिकारी जो ऐसे आवेदन को लेखा प्राधिकारी को प्रेषित कर रहा है, को चाहिए कि वह उसमें बता दे कि आज तक कितनी कुल राशि को परिवर्तित किया जाना है।

१९ निधि कोष में वेतन की अंतिम निकासी :

१) जब कोई अंशदाता नौकरी छोड़ता है तो निधि कोष में उसके खाते में रखी राशि उसे देय बन जाएगी।

बशर्ते कि यदि कोई अंशदाता सेवा से मुअत्तल कर दिया गया है और तदनंतर बोर्ड की इच्छा से सेवा में बहाल हो गया ह तो नियमन के अनुरूप निधि कोष से उसे प्रदत्त राशि और नियमन १२ में उपलब्ध दर से उस पर देय ब्याज का वह नियमन २०

में प्रदत्त प्रावधान के मुताबिक तरीके से उसका पुनर्भुगतान करता है। इस तरह चुकाई गई राशि को निधि कोष में उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण–१

जिस अंशदाता को प्रदत्त अवकाश से इनकार कर दिया गया है उसे जबरन सेवानिवृत्ति की तिथि या सेवा विस्तार पूरा होने की तिथि पर सेवा से मुक्त माना जाएगा।

स्पष्टीकरण–२

अनुबंध पर रखे गए अंशदाता से इतर या जो सेवानिवृत्त हो चुका है और तदनंतर सेवा में ब्रेक लिए बिना ही पुनरोजगार प्राप्त है, को सेवा पर बहाली के समय मेजर पोर्ट अथॉरिटी के अधीन (जिसमें वह भविष्य निधि कोष के एक अन्य दायरे में आता है) और उसके पूर्ववर्ती पद के संपर्क में रहे बिना किसी नए पद पर सेवा में ब्रेक के बिना कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने पर सेवा मुक्त नहीं माना जाएगा। ऐसे में उसका अंशदान व उस पर अर्जित ब्याज निधि कोष के नियमानुसार किसी अन्य निधि कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यही नियम छंटनी के उपरांत तात्कालिक रोजगार के मामले में लागू होगा, फिर चाहे वह बोर्ड के अधीन हो या किसी अन्य मेजर पोर्ट अथॉरिटी के अधीन।

स्पष्टीकरण–३

अनुबंध पर नियुक्त या सेवानिवृत्त और तदनंतर पुनरोजगार पाने वाला अंशदाता जब सेवा में बिना ब्रेक सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली किसी कॉर्पोरेट इकाई या किसी स्वायत्त संगठन, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० के अधीन किसी पंजीकृत संस्था में स्थानांतरित होता है तो उस पर अर्जित ब्याज सहित उसके अंशदान की राशि उसे अदा नहीं की जाएगी बल्कि उसे इकाई की अनुमति से उसके ही अधीन नए भविष्य निधि कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। स्थानांतरण की प्रक्रियाओं में नौकरी से इस्तीफा देने वाले मामले शामिल होंगे ताकि उन्हें सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली कॉर्पोरेट इकाई या किसी स्वायत्त संगठन, सोसायटीज रेगुलेशन एक्ट, १८६० के अधीन पंजीकृत संस्था में सेवाकाल में बिना किसी ब्रेक और बोर्ड की समुचित सहमति के साथ नियुक्त किया जा सके। नए पद पर ज्वाइन करने संबंधी समय को सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा। उसमें एक पद से दूसरे पर स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी पर ज्वाइनिंग टाइम में वृद्धि मान्य नहीं होगी।

बशर्ते कि सार्वजनिक उद्यम के तहत सेवा का विकल्प चुनने वाले अंशदाता का अंशदान और उस पर आहरित ब्याज की राशि उस उद्यम के अधीन आते निधि कोष में स्थानांतरित की जाएगी, यदि वह चाहता है तो, यदि संबंधित उद्यम को उसका स्थानांतरण मंजूर हो। लेकिन यदि अंशदाता स्थानांतरण नहीं चाहता या संबंधित उद्यम अपना भविष्य निधि कोष नहीं चलाता तो उक्त राशि अंशदाता को लौटा दी जाएगी।

२) अंशदाता की बोर्ड को देय कोई भी राशि उसकी सेवानिवृत्ति के समय या गैर–आवंटित जीपीएफ वेतन–भत्तों से जीपीएफ में उसके वेतन–भत्तों से उसकी सेवाकाल में मृत्यु होने या सेवानिवृत्ति के समय उसके नामांकितों को देय राशि नहीं काटी जाएगी, जैसा भी मामला हो, हालांकि अंशदाता या नामांकित व्यक्ति की अनुमति ली गई हो सकती है। ऐसे मामलों में

जहां अंशदाता या नामांकित व्यक्ति बोर्ड को राशि का पुनर्भुगतान करने को तैयार हो तो इस पुनर्भुगतान के संदर्भ में सबसे उत्तम तो यह होगा कि उसे दूसरा लेनदेन माना जाए। पहले अदा की गई पूरी राशि सुरक्षित रहनी चाहिए और वह भी बिना किसी शर्त के। तदुपरांत, पावती को बोर्ड का बकाया अदा करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

३) कर्मचारी द्वारा राशि में की गई गड़बड़ी के किसी भी अंश की भरपाई उसके जीपीएफ की राशि से नहीं की जा सकती।

४) मुअत्तल किए जाने पर अंतिम भुगतान उस मुअत्तली के खिलाफ दायर किसी अपील को संदर्भित किए बिना किया जाना होगा। जहां मुअत्तली के खिलाफ अपील का तथ्य नोटिस में आता है तो अंशदाता के आवेदन करने पर उसे अविलंब जारी किया जाना चाहिए। यह ब्याज सहित राशि के पुनर्भुगतान के संदर्भ में अंशदाता के ध्यानार्थ लाए जाने वाले विषय के अधीन होगा जैसा कि नियमन-१९ के उप-नियमन (१) के अधीन उपलब्ध प्रावधान में प्रदत्त है।

२० अंशदाता की सेवानिवृत्ति – जब एक अंशदाता होगा:

ए) सेवानिवृत्ति की तैयारो के तहत अवकाश पर चला गया है या वह बोर्ड के शिक्षण संस्थानों में रोजगारप्राप्त है। सेवानिवृत्ति की तैयारियों के तहत अवकाश में छुट्टियां शामिल हैं या

बी) अवकाश पर रहने के दौरान उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति है या आगे सेवा के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे अयोग्य घोषित किया जा चुका है।

इस संदर्भ में उसकी ओर से लेखा प्राधिकारी को दिए गए आवेदन पर निधि कोष के उसके खाते में रखी राशि अंशदाता को देय हो जाती है।

बशर्ते कि यदि अंशदाता अपनो ड्यूटी पर लौटता है तो जहां बोर्ड फैसला करता है उसे स्वीकार करेगा वरना वह निधि कोष में अपने खाते में जमा करने हेतू पुनर्भुगतान करेगा, जो राशि उसे इस नियमन के अनुरूप निधि कोष से नियमन-१२ में उपलब्ध दर के अनुरूप अर्जित ब्याज के साथ, नकदी में या प्रतिभूतियों में या कुछ नकद और कुछ प्रतिभूतियों में, किश्तों में या एकमुश्त उसके वेतन भत्तों से वसूली द्वारा या दूसरे रूप में जैसा भी किसी अगिम की स्वीकृति देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित हो, उस अनुमति के लिए जिसमें नियमन-१३ के उप-नियमन के अधीन विशेष कारणों की आवश्यकता होगी।

२१ अंशदाता की मृत्यु होने पर प्रक्रिया :

उसके खाते में जमा राशि के देय होने से पूर्व अंशदाता की मृत्यु हो जाने पर या जहां राशि भुगतान से पूर्व देय बन चुको है :

१) जब अंशदाता अपने परिवार को छोड़ देता है।

ए) यदि अंशदाता द्वारा नियमन-६ या समरूप नियमन के प्रावधानों के अनुरूप किसी सदस्य या परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन प्रभावी है, उसके निधि कोष के खाते में जमा राशि या नामांकन संबंधी उसका हिस्सा नामांकन में प्रदतत औसत के अनुरूप नामांकित या नामांकितों को देय हो जाएगा।

बी) यदि अशंदाता के किसी सदस्य या परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया गया नामांकन बरकरार है या निधि कोष में उसके खाते में जमा राशि का केवल एक हिस्सा ऐसे नामांकन से संबंधित है यानी पूरी राशि या उसका एक हिस्सा जिसमें

नामांकन कोई मायने नहीं रखता, मामला चाहे जो हो, तो उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन के दावे से इतर वह राशि बराबर हिस्सों में उसके पारिवारिक सदस्यों में देय हो जाएगी।

बशर्ते कि कोई हिस्सा देय नहीं होगा, नामत:

१) वयस्क हो चुके बेटों को

२) मृतक के वयस्क हो चुके बेटों को

३) विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं

४) मृत बेटे की विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं

यदि क्लॉज (१), (२), (३) और (४) में वर्णित के अलावा परिवार में कोई अन्य सदस्य है।

बशर्ते कि विधवा या विधवाओं और मृत बेटों का बच्चा या बच्चे केवल उसी हिस्से में से बराबर हिस्सा पाएंगे जो बेटे के जीवित रहने पर प्राप्त करते। और पहले प्रावधान के क्लॉज – (१) के प्रावधानों में छूट

२) यदि अंशदाता अपने पीछे कोई परिवार छोड़ कर नहीं जाता, यदि उसके द्वारा नियमन-६ के प्रावधानों के अनुरूप या समरूप नियमन के अनुरूप कोई नामांकन किया गया है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में कायम है तो निधि कोष में उसके खाते में जमा राशि या नामांकन संबंधी उसका हिस्सा, नामांकन में प्रदत्त औसत के अनुरूप उसके नामांकित या नामांकितों को देय हो जाएगा।

नोट: –

१) बोर्ड जीपीएफ के अंतिम भुगतान से वसूली के योग्य नहीं होगा। नियमन-१९ का उप-नियमन (२) देखें।

२) अवयस्क की ओर से सामान्य भविष्य निधि कोष की राशि का लोगों में आवंटन –

अवयस्कों की ओर से ५०००/– रुपए तक (या जहां ५०००/– रुपए से अधिक राशि है वहां प्रथम ५०००/– रुपए) भविष्य निधि कोष की राशि का भुगतान उसके/उनके जैविक अभिभवकों को किया जा सकता है या जहां जैविक अभिभावक नहीं हैं तो अभिभावक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए बिना अवयस्क की ओर से पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन द्वारा उचित समझे गए व्यक्ति को किया जा सकता है। अवयस्क की ओर से भुगतान प्राप्त कर रहे व्यक्ति को एक बॉण्ड हस्ताक्षरित करना आवश्यक होगा, जिसमें दो गारंटियां होंगी जो तदनंतर किसी दावे के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए सहमति देंगे। यदि शेष राशि ५०००/– रुपए से अधिक है तो उसका सामान्य नियमनों के अनुरूप भुगतान किया जाएगा।

३ जहां जैविक अभिभावक हिंदू विधवा/हिंदू विधुर है तो उसके अवयस्क बच्चों की ओर से भविष्य निधि कोष की राशि का भुगतान पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की अनुमति के साथ किसी अभिभावक प्रमाण-पत्र या क्षतिपूर्ति बॉण्ड को प्रस्तुत किए बिना उसे कर दिया जाएगा। जब तक ऐसा कोई कारण या पहलू न हो जिसमें लगता हो कि माता/पिता की अभिरुचि उन अवयस्क बच्चों के प्रति विपरीत है।

४) अवयस्कों की ओर से भविष्य निधि कोष के वितरण हेतू क्षतिपूर्ति बॉण्ड का प्रारूप क्षतिपूर्ति बॉण्ड किसी टिकाऊ

सादे कागज पर बनाया जा सकता है और यह इन विनियमनों में संलग्न फॉर्म-३ में होना चाहिए।

५) अंशदाता के मरणोपरांत यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे अंशदाता की मृत्यु से पूर्व जन्मे जीवित बच्चे की तरह उसके परिवार के सदस्य के तौर पर समझा जाएगा। यदि मरणापरांत जन्मे बच्चे को वितरण अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है तो उस जीवित बच्चे को देय राशि रोक ली जाएगी व शेष राशि सामान्य रूप से वितरित कर दी जाएगी। यदि बच्चा जीवित जन्म लेता है तो रोकी गई राशि का भुगतान अवयस्क बच्चे को किए जाने वाले भुगतान की तर्ज पर कर दिया जाएगा। परंतु यदि बच्चा जन्म नहीं लेता या मृत पैदा होता है तो रोकी गई राशि को सामान्य नियमानुसार परिवार में वितरित कर दिया जाना चाहिए।

६ हिंदू कानून के तहत सौतेली मां अपने अवयस्क सौतेले बेटे की जैविक अभिभावक नहीं है तथा जहां न्यायालय का आदेश आवश्यक होगा।

७ यदि कानूनी प्रतिनिधि की पहचान निस्संदेह है तो भुगतान चेयरमैन की अनुमति के साथ कानूनन प्रतिनिधि को कर दिया जाएगा, इसके लिए उसे प्रशासन का प्रमाणित इच्छा-पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत नहीं करना होगा। यदि पहचान स्थापित करने में कोई कठिनाई आ रही है और किसी मामले में प्रशासन का प्रमाणित इच्छा-पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तो मामला बोर्ड को भेजा जाना चाहिए, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

२२ निधि कोष में राशि के भुगतान का ढंग:

जब निधि कोष में अंशदाता के खो में जमा राशि देय हो जाती है तो उप-नियमन-३ में प्रदतत संदर्भित लिखित आवेदन मिल जाने पर भुगतान करने का जि मा लेखा अधिकारी का होगा।

२ इन नियमनों के अधीन यदि किसी व्यक्ति को कोई राशि या पॉलिसी अदा की जानी है, उसकी पुनर्अदायगी की जानी है या प्रेषित की जानी है और यदि वह मानसिक रोगी है और उसके लिए इंडियन ल्यूनिसी एक्ट १९१२ के अधीन कोई मैनेजर इस संदर्भ में नियुक्त किया गया है तो वह भुगतान या पुनर्अदायगी या प्रेषण उस प्रबंधक को किया जाएगा न कि मानसिक रोगी को।

बशर्ते कि जहां कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया है, और जिस व्यक्ति को यह राशि देय है, उसे न्यायाधीश द्वारा मानसिक रोगी प्रमाणि किया गया है तो राशि का भुगतान इंडियन ल्यूनिसी एक्ट १९१२ की धारा ९५ की उपधारा (१) में वर्णित नियमों एवं शर्तों में कलेंक्टर के आदेशाधीन उस मानसिक रोगी के प्रभारी को किया जाएगा और लेखा अधिकारी केवल वही राशि अदा करेगा जिसके बारे में उसे लगता हो कि मानसिक रोगी का प्रभारी व्यक्ति उपयुक्त व सही व्यक्ति है और शेष राशि यदि कोई है या उसका कोई अंश मानसिक रोगी के ऐसे परिजनों को बतौर मुआवजा अदा करेगा, जो उनकी नजर में फिट हैं और मुआवजे के लिए उस पर निर्भर हैं।

३ निकासी की रकम का भुगतान केवल भारत में होगा। जिन व्यक्तियों को राशि देय है वे भारत में भुगतान प्राप्ति का अपना प्रबंध स्वयं करेंगे। अंशदाता द्वारा भुगतान के दावे हतू नि नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नामत:

१) निधि कोष में राशि की निकासी हेतू अंशदाता को जमा करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यालय प्रमुख एक आवेदन

अंशदाता की सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लिए जाने पर या उसकी संभावित सेवा निवृत्ति की तिथि से पूर्व, जो भी पहले हो, को एक वर्ष के पहले ही प्रत्येक अंशदाता को आवश्यक फॉर्म भेजेगा, वह भी इन दिशा-निर्देशों के साथ कि अंशदाता द्वारा फॉर्म मिलने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर उसे पूरा भरकर लौटाया जाना है। उसके बाद अंशदाता निधि कोष में राशि के भुगतान हेतू कार्यालय प्रमुख या विभाग प्रमुख के जरिये अपना आवेदन लेखा अधिकारी के पास जमा कराएगा। यह आवेदन इसलिए किया जाएगा:

ए) उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक साल पूर्व खत्म हो रहे वर्ष की अकाउंट्स स्टेटमेंट्स में इंगित या सेवानिवृत्ति की संभावित तिथि से पूर्व उसके खाते में जमा राशि के लिए।

बी) अंशदाता द्वारा प्राप्त नहीं की गई अकाउंट्स स्टेटमेंट के मामले में उसके बही खातों में इंगित राशि के लिए।

२) कार्यालय/विभाग प्रमुख यह आवेदन आगे लेखा अधिकारी को प्रेषित करेगा जिसमें वर्तमान में चालू अग्रिमों के बदले की गई वसूलियां इंगित होंगी और वसूली जाने वाली किस्तों की सं या इंगित होगी तथा यह भी इंगित होगा कि लेखा अधिकारी द्वारा प्रेषित अंशदान के खाते की आखरी स्टेटमेंट में वर्णित अवधि के बाद उसने क्या निकासियां कीं, यदि कोई हैं तो।

३) लेखा अधिकारी बही खाते की जांच-पड़ताल के बाद उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से न्यूनतम एक माह पहले, लेकिन सेवानिवृत्ति की तिथि पर देय व आवेदन पत्र में इंगित राशि पर सहमति देगा।

२३) किसी कर्मचारी को एक मेजर पोर्ट से दूसरे में स्थानांतरण की प्रक्रिया:

निधि कोष में अंशदाता कर्मचारी यदि इन नियमों के समरूप नियमों से शासित किसी अन्य मेजर पोर्ट में पेंशन योग्य सेवा में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया हो तो स्थानांतरण की तिथि पर निधि कोष में उसके खाते में जमा अंशदान पर ब्याज सहित राशि को उस मेजर पोर्ट के निधि कोष के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

२४) निजी मामलों में नियमनों के प्रावधानों में छूट :

जब बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो कि नियमनों के किसी संचालन से अंशदाता को कठिनाई हो रही है या हो सकती है तो बोर्ड इन नियमनों में वर्णित किसी भी पहलू से इतर ऐसे अंशदाता के मामले में इस तरह निपट सकता है जो उचित आर उपयुक्त जान पड़ते होंञ

नोट: -

अंशदाता और उपयुक्त निधि कोष का भुगतान उसके सेवानिवृत्ति की तैयारी हेतू अवकाश पर चले जाने या जाने से पहले या वास्तविकता में सेवानिवृत्त हो जाने से पूर्व नहीं किया जाएगा।

२५ अंशदान के भुगतान के समय बताए जाने वाली खाता सं या :-

वेतन-भत्तों से कटौती द्वारा या नकद में अंशदान का भारत में भुगतान करते समय अंशदाता निधि कोष में अपनी खाता सं या बताएगा जो उसे लेखा अधिकारी द्वारा सूचित की जाएगी। इसी तरह खाता सं या में किसी बदलाव के बारे में अंशदाता को सूचना लेखा अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा।

२६ अंशदाता को भेजी जाने वाली खातों की वार्षिक स्टेटमेंट्स :-

यदि प्रत्येक वित्तवर्ष पूरा होने के बाद लेखा अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र निधि कोष खाते की एक स्टेटमेंट भेजेगा, जिसमें उस वर्ष की १ अप्रैल को उसका ओपनिंग बैलेंस, वर्ष के दौरान निकाली/जमा कराई गई सकल राशि, ३१ मार्च तक ब्याज की कुल राशि और उस तिथि पर क्लोजिंग बैलेंस प्रदर्शित होगा। लेखा अधिकारी खातों की स्टेटमेंट के साथ इस बात का एक जांच-पत्र भी संलग्न करेगा कि क्या अंशदाता -

ए) नियमन-६ या संबंधित समरूपी नियम के अधीन किए गए किसी नामांकन में किसी बदलाव का इच्छुक है। उन मामलों में उसने अपना बना लिया है जहां अंशदाता ने नियमन-६ के उप-नियमन (१) के प्रावधानों के अधीन अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामांकन नहीं किया है।

नोट:-

१) लेखा अधिकारियों से खातों की वार्षिक स्टेटमेंट प्राप्त कर लेने पर कार्यालय प्रमुखों को उन्हें संबंधित अंशधारकों के बीच तत्काल वितरित कर देना चाहिए ओर शेष राशियों की स्वीकार्यता ले लेनी चाहिए।

नोट :-

२) यदि अंशदाता को प्रतीत हो कि उसके खाते की वार्षिक स्टेटमेंट में प्रदर्शित उसके खाते की शेष राशि उसके वास्तविक अंशदान/निकासी से कम है या त्रुटिपूर्ण है तो उसे चाहिए कि वह तत्काल अपने कार्यालय प्रमुख से संपर्क करे। संबंधित लेखा अधिकारी को अपनी आपत्ति भेजने के बाद कार्यालय प्रमुख उस पर एक प्रमाण-पत्र के रूप में इस बात को इंगित करेगा। वर्ष के दौरान अंशदाता के वेतन से वसूले गए अंशदानों का मासिक ब्यौरा या उन वसूलियों/निकासियों में बिलों के ब्यौरे सहित सभी निकासियों का ब्यौरा होगा।

नोट :-

३) लेखा अधिकारी उसके बाद तत्काल गुमशुदा क्रेडिट/डेबिट संबंधी ब्यौरे का सुराग लगाने की कार्रवाई शुरू करेगा और बोर्ड की ओर से अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप अंशदाता के खाते को दुरुस्त करने की प्रक्रिया अपनाएगा और कार्यालय प्रमुख तथा अंशदाता को इसी की आवश्यक सूचना भेजेगा।

२७ व्या या :-

यदि इन नियमनों के स्पष्टीकरण/व्या या के संदर्भ में कोई प्रदन पैदा हा तो उसे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाएगा जिसका फैसला अंतिम होगा।

(सं. पीआर-१२०१६/६/९०- पीई-१)

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

माह हेतु अनिवार्य अंशदाताओं को भविष्य निधि कोष खाता सं या

के आबंटन ब्यौरे की स्टेटमेंट

कार्यालय.....

कृपया फारम खाता मद, जिस में वेतन और संदर्भगत राशियां जमा की गईं, को भरने से पहले पीछे दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

कोष का नाम : जी.पी.एफ.

क्रम सं.	**पोर्ट कर्मी का नाम (अंशदाता)**	**अंशदाता के पिता / पति का नाम**	**अंशदाता की जन्म तिथि**	**सर्विस ज्वाईनिंग की तिथि**	**पद**
१	२	३	४	५	६

पारिश्रमिक	**अंशदान की मासिक दर (पूर्ण रुपये में)**	**अंशदान शुरु होने का महीना**	**टिप्पणी**	**एफ एवं ए विभीग द्वारा भरा जाएगा, आबंटित खाता सं.**
7	8	9	10	11

सं..... दिनांक : .....

आवश्यक कार्रवाई हेतु दोहरी प्रति में एफ.ए. एवं सी.ए.ओ., पी.पी.टी को प्रेषित। जिन कर्मचारियों के नाम उन स्टेटमेंटों में शामिल हैं उन्हें पारादीप पोर्ट इ पलॉईज़ (जी.पी.एफ.) रूल १९८९ के नियम ४ के अधीन सामान्य भविष्य निधि

कोष में प्रवेश के लिये वापिस लेना होगा। उनके नाम पूर्ववर्ती स्टेटमेंटों में शामिल नहीं किये गये हैं और वे सामान्य भविष्य निधि कोष के पूर्व में सदस्य नहीं हैं (टिप्पणी वाले कॉलम में वर्णित नामांकन संलग्न हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि जिन कर्मचारियों के नाम ऊपर प्रदर्शित किये गये हैं वे संदर्भगत नियमों के अनुरूप सामान्य भविष्य निधि कोष में अंशदान के पात्र हैं।

सं..... दिनांक.....

..... को लौटाया गया आबंटित खाता सं या ..... को अंशदाताओं को सूचित किया जा सकता है और सविस बुक नॉमिनेशन एवं अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा सकता है। किसी अंशदाता के सामान्य भविष्य निधि कोष के संदर्भ में किये गये पत्राचार में खाता सं या का उल्लेख करना चाहिये। एद्द्वारा क्र. सं या ..... पर नामाकनों की पावती अभिस्वीकृत है।

(कार्यालय प्रमुख) लेखा अधिकारी

एफ.ए. एंड सी.ए.ओ. , पी.पी.टी

स्टेटमेंट फाइल करने के लिये संस्थान :

ए) यह फॉर्म केवल उन्हीं मामलों में प्रयुक्त होना चाहिये जहां भविष्य निधि कोष में अंशदान अनिवार्य है।

बी) स्टेटमेंट दोहरी प्रति में भेजा जाना चाहिये। इसमें पोर्ट के स्थाई कर्मचारियों को शामिल करना चाहिये जिन्होंने पूर्ववर्ता महीने में ज्वाईन किया और उन्हें पोर्ट ट्रस्ट की सेवा में प्रवेश पर भविष्य निधि कोष में प्रवेश करना अनिवार्य है। और पोर्ट ट्रस्ट के अस्थाई कर्मचारियों जो एक साल का निरन्तर कार्यकाल पूरा कर लेगें या तदनन्तर तीन माह बाद वे भविष्य निधि कोष में अंशदान के पत्र बन जाएंगे।

सी) कॉलम ३ पति का नाम (पिता के नाम की जगह) विवाहित महिला अंशदानियों के संदर्भ में उनका पद बताते हुये

डी) कॉलम ७- मंहगाई वेतन यदि कोई है तो विशेष रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।

ई) कॉलम ८- कृपया पारादीप पोर्ट इ प्लाईज़ (जी.पी.एफ.) रूल्स १९८९ का नियम ९ देखें।

एफ) कॉलम ९ पारादीप पोर्ट इ पलाईज़ (जी.पी.एफ.) रूल्स १९८९ के अधीन एक साल की निरन्तर सेवा महीने के बीच नें पूरी कर लेने वाले अस्थाई

पोर्ट कर्मचारी उस आगामी महीने के अपने वेतन से भविष्य निधि कोष में अंशदान करना शुरू कर देगा जिससे उसकी सेवा का एक वर्ष पूरा होता है।

जी) निर्धारित प्रपत्र में अंशदाता को नामांकन प्राप्त करना चाहिये और टिप्पणी कॉलम में उपयुक्त नोट दर्ज करते हुये इस स्टेटमेंट के साथ उसे एफ.ए. एंड सी.ए.ओ. , पी.पी.टी को प्रेषित कर देना चाहिये।

नामांकन प्रपत्र

मैं ..... एद्द्वारा नि नलिखित व्यक्ति / यों को नामांकित करता हूँ जो पारादीप पोर्ट इ प्लॉईज़ रूल्ज़ के

(जी.पी.एफ.) रूल्ज़ १९९१ के नियम २ में परिभाषित अनुसार मेरे परिवार के सदस्य/गैर सदस्य है / हैं और वह / वे मेरे भविष्य निधि कोष में जमा राशि प्राप्त करने को अधिकृत हैं।

नामांकित(तों) का नाम एवं पूरा पता (१)	अंशदाता के साथ संबंध (२)	नामांकित(तों) की आयु (३)	प्रत्येक नामांकित को देय हिस्सा (४)	ऐसी संभावना, जिससे नामांकन वैध हो जाएगा (५)	–व्यक्ति का नाम, पता एवं संबंध यदि कोई है, जिससे नामाकित का अधिकार अंशदाता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर पास हो जाएगा (६)	– यदि नामांकित व्यक्ति परिवार का सदस्य नहीं है, जैसा कि नियम २ में दिया गया है, कारण बर्िाएं (७)

दिनांक......................... स्थान................

अंशदाता के हस्ताक्षर......................

बड़े अक्षरों में नाम ....

पद ....

दो गवाहों के हस्ताक्षर

१. ....

२. ....

हस्ताक्षर :

(प्रपत्र के पीछे का भाग)

कार्यालय प्रमुख (वित्त एवं लेखा विभाग) द्वारा उपयोग किये जाने हेतु स्थान

श्री/श्रीमती/कुमारी

.....पद..... द्वारा नामांकन

नामांकन की प्राप्ति की तिथि.....

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर .....

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर .....

पद .....

अंशदाता हेतु निर्देश : तिथि : .....

ए) में आप का नाम भरा जाएगा

बी) निधि का नाम उपयुक्त रूप से पूरा किया जाएगा

सी) पारादीप पोर्ट इ प्लॉईज़ (जी.पी.एफ.) रूल्ज़, १९८९ में दिये गये अनुसार टर्म ''परिवार'' की परिभाषा नीचे दी गई है :-

परिवार से आशय :-

१- पुरुष अंशदाता के मामले में उसकी पत्नी - बीवीयां, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, मृत बेटे की विधवा और उसके बच्चे तर्ा जहां अंशदाता की माता जीवित हैं, दादा-दादी, बशर्ते अंशदाता यह प्रमाणित कर दे कि उसकी पत्नी कानूनी तौर पर उसके अलग हो चुकी है या सामाजिक रीति रिवाज़ों के तहत समुदाय से उसका, उससे कोइ संबंध नहीं, लेकिन मुआवज़े की पात्र है तो उसे अंशदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, विशेष कर उन मामलों में जहां ये नियम लागू होते हैं, बशर्ते कि अंशदाता तदनन्तर लेखा अधिकारी को यह लिखित में दे दे कि वह उसके परिवार की सदस्य है।

२- महिला अंशदाता के मामले में पति, माता, पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, मृत बेटे की विधवा और बच्चे तथा जहां अंशदात्री के माता-पिता जीवित नहीं, दादा-दादी, बशर्ते कि अंशदात्री लेखा अधिकारी के लिखित में अपने पति को उसके परिवार से अलग करने की इच्छा जताए,

जिसके बाद उसका पति संबंधित नियमों के दायरे में अंशदात्री के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि अंशदात्री स्वयं लिखित में तदनन्तर यह सूचना रद्द न करा दे।

नोट:- बच्चे से आशय कानूनी बच्चे से है और उसमें वह गोद लिया बच्चा शामिल है जिसे अंशदाता पर लागू पर्सनल लॉ द्वारा मान्यता दी गई है।

डी) कॉलम ४. यदि केवल एक व्यक्ति को नामांकित किया गया है तो नामांकित के सामने ''पूर्ण'' लिखा जाना चाहिये। यदि एक से ज्यादा व्यक्ति नामांकित हैं तो भविष्य निधि कोष की समूचि राशि में से प्रत्येक नामांकित को देय हिस्से का उल्लेख किया जाएगा।

ई) कॉलम–५ नामांकित / तों की मृत्यु की सूचना इस कॉलम में संभावना के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिये

एफ) कॉलम ६ अपना नाम दर्ज न करायें।

जी) अपने हस्ताक्षर करने के बाद खाली स्थान पर रेखाएं खींच दें ताकि उससे पहले कोई नाम जोड़ने की संभावना से बचा जा सके ।

नोट :– यदि किसी अंशदाता ने नामांकन भरते समय यह लिखा कि उसका कोई परिवार नहीं है तो तदनन्तर परिवार बनाने के बाद नामांकन अमान्य हो जाएगा।

प्रपत्र सं. ३

उसके/उनके जैविक अभिभावकों के इतर किसी व्यक्ति द्वारा मृत अंशदाता के नाबालिग बच्चे / बच्चों को देय भविष्य निधि कोष की राशि की निकासी हेतु क्षतिपूर्ति बॉन्ड का प्रपत्र (५०००/– रु. की सीमा तक)

सभी उपस्थितों की उपस्थिति में ज्ञात हो कि हम (ए) ....., पुत्र/पुत्री/पत्नी . . . . . (इसके बाद अनुग्रहकर्ता के रूप में संदर्भित) वासी ..... (बी) (१) . . . . . पुत्र/पुत्री/पत्नी . . . . . और वासी ....., तथा (बी) ..... (२) पुत्र/पुत्री और वासी . . . . . (इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित) को ..... (अंकों एवं शब्दों में राशि) जो बोर्ड या उसके उत्तराधिकारियों या नियुक्तों को अदा की जाएगी, जिसके लिए भुगतान हेतू हम में से प्रत्येक विश्वस्त और सच्चे तौर पर स्वयं का उसके प्रति उसके और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति, कार्याकारियों के प्रति, प्रशासकों के प्रति, इन सभी उपस्थितों द्वारा संयुक्त रूप से जमानती माने गए।

तिथि ..... दिन ..... दो हजार और ..... जहां (सी) . . .. अपनी मृत्यु के समय सामान्य भविष्य निधि खाता कोष का अंशदाता था और जहां उक्त (सी) की ..... को मृत्यु हो गई थी।

..... दो हजार और ..... और .....रुपए (अंकों एवं शब्दों में) जो बोर्ड द्वारा, उसके सामान्य भविष्य निधि कोष के खाते में जमा राशि देय है और जहां उपरोक्त बाह्य अनुग्रहकर्ता ..... दावा करता (करते) हैं क उक्त (सी) नाबालिग बच्चे/बच्चों की ओर से उक्त राशि देय है। लेकिन उसने/उन्होंने कोई अभिभावक प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया है।

और जहां अनुग्रहकर्ता (कर्ताओं) ने ..... को (संबंधित अधिकारी) संतुष्ट कर दिया है कि वह/वे उपरोक्त राशि पाने के पात्र हैं और यह कि यदि दावेदार को अभिभावक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत की आवश्यकता पड़े तो वह अकारण विलंब और कठिनाइयों का सबब बनेगा तथा जहां दावेदारों को उपरोक्त राशि अदा करने का इच्छुक है लेकिन बोर्ड के नियमों और आदेशों के अधीन राशि के प्रति स ाी दावों के संदर्भ में दो जमानतियों के साथ एक बॉण्ड भरकर देना होगा, इसस पहले कि उपरोक्त राशि दावेदार को अदा की जाए, जिस पर अनुग्रहकर्ता और उसके जमानती ऐसा करने को तैयार हो गए हैं।

अब इस बॉण्ड की शर्त यह है कि यदि दावेदार को भुगतान कर दिया जात है तो उसके बाद अनुग्रहकर्ता या जमानती उस सूरत में जब अन्य लोग बोर्ड के खिलाफ उपरोक्त राशि ..... रुपए पर दावा करेंगे, जो बोर्ड को लौटाई जानी है और खुद को क्षतिपूर्ति के प्रति और बोर्ड को क्षति से बचाने व उक्त राशि के संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति करने को तैयार होंगे। उस हालत में उपरोक्त लिखित बॉण्ड और उत्तरदायित्व निरस्त होंगे वरना यह लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा और

मान्य होगा। यदि इन उपस्थितों से कोई स्टांप शुल्क देय है तो बोर्ड उसकी भरपाई करने को तैयार है।

अनुग्रहकर्ता और जमानती/जमानतियों के गवाह यहां ..... को उपरोक्त लिखित क्षतिपूर्ति बॉण्ड पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं/अंगूठे लगाते हैं।

उपरोक्त अुग्रहकर्ता द्वारा नि न की उपस्थिति में हस्ताक्षर

१ .....

२ .....

उपरोक्त जमानती/जमानतियों द्वारा हस्ताक्षरित

१ .....

२ .....

की उपस्थिति में

.....

(गवाह का नाम एवं पद)

बोर्ड के न्यासियों द्वारा उनके लिए एवं उनकी ओर से स्वीकृत

चेयरमैन

पारादीप पार्ट ट्रस्ट

.....

ए) दावेदार (दावेदारों) का पूरा नाम, निवास स्थान के साथ

बी) जमानतियों के नाम एवं पते

सी) मृतक का नाम

डी) अधिकारी का नाम एवं पद

फॉर्म-४

भविष्य निधि खाते में शेष राशियों के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन-पत्र

..... भविष्य निधि कोष खाते में शेष राशियों का कॉर्पोरेट इकाइयों अन्य सरकारों के अंतिम भुगतान/हस्तांतरण हेतू आवेदन का प्रारूप

सेवा में

एफए एंड सीएओ

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

(मु य कार्यालय द्वारा)

श्रीमान,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूं/सेवानिवृत्त हो चुका हूं, ...महीनों के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर जा चुका हूं, कार्यमुक्त हो चुका हूं/निलंबित हो चुका हूं, ... में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका हूं, पोर्ट को सेवाओं से अंतिम रूप से त्यागपत्र दे चुका हूं/पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अधीन सेवा से त्यागपत्र दे चुका हूं ताकि ..... के साथ नियुक्ति प्राप्त कर सकूं और मेरा ..... अपरान्ह/पूर्वान्ह से प्रभावी त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। मैंने सेवाओं में प्रभार संभाल लिया है।

२ मेरा भविष्य निधि खाता सं या ..... है।

३ मैं अपने कार्यालय के जरिये भुगतान प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा ब्यौरा, निजी पहचान चिन्ह, बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुली के निशान (अशिक्षित अंशदाताओं के मामले में) और हस्ताक्षर के नमूने (शिक्षित अंशदाताओं के मामले में) निवासी एवं वितरण अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित दोहरी प्रति में यहां संलग्न है।

भाग–१

(सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व तक अंतिम भुगतान हेतू दिए जाने वाला आवेदन पत्र भरे जाने वाला)

४ आपके अधीन मेरे बहीखाते में वर्ष ..... के लिए मुझे जारी की गई अकाउंट स्टेटमेंट में इंगित सामान्य भविष्य निधि कोष के मेरे खाते में ..... की राशि शेष है। निवेदन है कि मेरे जीपीएफ खाते की पुनर्समीक्षा की जाए और उसे अप–टू–डेट किया जाए।

५ फॉर्म के भाग–२ में मेरे वेतन से अंतिम अंशदान की कटौती के तुरंत बाद में एक अन्य आवेदन करूंगा।

स्टेशन.....

तिथि.....

आपका विश्वासपात्र

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

(मु य कार्यालय में प्रयोग हेतू)

आवश्यक कार्रवाइ हेतू एफए एंड सीएओ को प्रेषित

२ श्री/श्रीमती/कुमारी के भविष्य निधि कोष खाता सं या (जैसे जांचा गया/वर्ष दर वर्ष उसे जारी स्टेटमेंट्स)

..... है।

३ वह पोर्ट ट्रस्ट की सेवाओं से ..... पद सेवानिवृत्त होने वाला है/वाली है।

४ प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने नि नलिखित अग्रिम राशियां ली थीं, जिनके संदर्भ में ..... की रुपए वाली किश्तें अभी वसूली जानी हैं और कोष खाते में क्रेडिट की जानी हैं। उपरोक्त अकाउंट स्टेटमेंट्स के दायरे में आतो अवधि के बाद उन्हें प्रदत्त अंतिम निकासियों का ब्यौरा नि नलिखित रूप में है।

अस्थायी अग्रिम	अंतिम निकासियां
१	.....
२.....	.....
३.....	.....

कार्यालय पमुख के हस्ताक्षर

भाग–२

(उसके वेतन से आखिरी निधि कोष की कटौती के तत्काल बाद अंशदाता द्वारा जमा कराया जाने वाला यह भाग उस मामले में भी लागू होगा जहां सेवानिवृत्ति, प्रभारमुक्त, त्यागपत्र आदि की तिथि के बाद अंतिम भुगतान के लिए पहली बार आवेदन किया जाना है)

दिनांक ..... को मेरे पूर्व आवेदन की निरंतरता में भविष्य निधि कोष की शेष राशि के अंतिम भुगतान हेतू मैं निवेदन करता हूं कि नियमानुसार ब्याज सहित समूची राशि का मुझे भुगतान किया जाए।

या

मैं निवेदन करता हूं कि नियमानुसार ब्याज सहित समूची राशि मुझे ..... अदा की जाए/हस्तांतरित की जाए।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

(कार्यालय प्रमुख के प्रयोग हेतू)

पृष्ठांकन सं या ..... की निरंतरता में/आवश्यक कार्रवाई हेतू एफए एंड सीएओ को प्रेषित

२ वह .....को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वह ..... से .....महीनों के लिए सेवानिवृत्ति की तैयारो हेतू प्रभार मुक्त/निलंबित हो गए हैं/में स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। नियुक्ति पर पदभार संभालने हेतू उन्होंने ..... से पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया है और उनका पूर्वान्ह/अपरान्ह से प्रभावी त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने ..... के साथ ..... पर .....पूर्वान्ह/अपरान्ह ..... को ज्वाइन कर लिया है।

३ उनकी अंतिम निधि कोष कटौती उनके वेतन से इस कार्यालय बिल सं या ..... दिनांक ..... को ..... रुपए (शब्दों में), वाउचर सं या ..... दिनांक ..... काटी गई राशि ..... रुपए और ..... रुपए की अग्रिम राशि के पुनर्भुगतान की वसूली है।

४ प्रमाणित किया जाता है कि उसके वेतन से आखिरी कोष कटौती की तात्कालिक अगली तिथि से ९ महीनों के दौरान उसके भविष्य निधि कोष से न तो अग्रिम स्वीकृत किया गया और न ही वहां से अंतिम निकासी की गई।

या

प्रमाणित किया जाता है कि नि नलिखित अस्थायी अग्रिम के बाद अंतिम भुगतान उसे स्वीकृत किए गए और उसके आखिरी कोष कटौती की तात्कालिक अगली तिथि से ९ महीनों के दौरान उस तिथि पर जब उसके वेतन से आखिरी फंड कोष काटा गया, तो वहां अंतिम निकासी को स्वीकृत किया गया था।

.....

अग्रिम निकासी तिथि वाउचर सं या

१.....

२.....

३.....

५ प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार या प्रदेश/केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/या नियंत्रित किसी कॉर्पोरेट के किसी अन्य पोर्ट ट्रस्ट या विभाग में नियुक्ति पर पदभार संभालने हेतू सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के साथ पोर्ट ट्रस्ट की सेवाओं से त्यागपत्र नहीं दिया है।

(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)

प्रपत्र–५

नामांकितों या अन्य दावेदारों जहां कोई नामांकन नहीं है, अंशदाता के भविष्य निधि कोष एवं खाते में बैलैंसिज़ (शेषों) के अतिम भुगतान हेतु आवेदन का प्रारूप

सेवा में

एफ.ए. एंड सी.ए.ओ.

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

(कार्यालय के प्रमुख द्वारा)

श्रीमान,

अनुरोध किया जाता है कि कृपया श्री या श्रीमती..... के सीपीएफ के खाते में संचयन के भुगतान के लिये प्रबंध करें। इस संबंध में अनिवार्य अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :

१. पोर्ट कर्मी का नाम :

२. जन्म तिथि :

३. पोर्ट कर्मी द्वारा अधिग्रहीत पद :

४. मृत्यु की तिथि :

५. नगर प्राधिकरणों इत्यादि द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के रूप में मृत्यु का प्रमाण, यदि उपलब्ध है :

६. अंशदाता के आबंटित भविष्य निधि खाता सं या :

७. उस की मृत्यु के समय अंशदाता के क्रैडिट में दर्ज भविष्य निधि खाते

की राशि, यदि ज्ञात है:

८. अंशदाता की मृत्यु पर जीवित नामांकित व्यक्ति के विवरण, यदि नामांकन कायम है

नामांकित व्यक्ति का नाम	**अंशदाता के साथ संबंध**	**नामांकित व्यक्ति का हिस्सा**
१.		
२.		
३.		
४.		

९. यदि परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के पक्ष में नामांकन किया गया है तो अंशदाता के परिवार के विवरण, तदनन्तर अभिगृहीत परिवार :

.....

नाम अंशदाता के साथ संबंध मृत्यु की तिथि पर आयु

.....

१.

२.

३.

१०. यदि कोई नामांकन अस्तित्व में नहीं है तो अंशदाता की मृत्यु की तारीख पर उसके जीवित पारिवारिक सदस्यों का ब्यौरा– बेटी या अंशदाता के मृतक बेटे की बेटी, जो अंशदाता की मृत्यु से पूर्व विवाहित हो, तो उसके नीम के आगे यह दर्ज किया जाना चाहिये कि क्या अंशदाता की मृत्यु के समय उस का पति जीवित था।

.....

नाम अंशदाता के साथ संबंध मृत्यु की तिथि पर आयु

ज.....

१.

२.

३.

११ जिस माता (अंशदाता की विधवा) (जो हिन्दु नहीं है) के नाबालिग बच्चे को देय राशि के दावे के मामले में वह क्षतिपूति बॉन्ड या अभिभावक प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित होगा, जैसा भी मामला हो।

१२. यदि अंशदाता अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ गया ह और भविष्य निधि कोष की राशि जिन लोगों के नामांकन पर देय हो (परिवीक्षण पत्र या उतराधिकार प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा)।

.....

नाम अंशदाता के साथ संबंध मृत्यु की तिथि पर आयु

.....

१.

२.

३.

१३. दावेदार(रों) का धर्म :

आपका विश्वासपात्र

स्थान : (दावेदारों के हस्ताक्षर)

तिथि (पूर्ण नाम एवं पता)

(कार्यालय विभाग प्रमुख के प्रयोग के लिये)

आवश्यक कार्रवाई के लिये एफ.ए. एंड सी.ए.ओ., पी.पी.टी. को प्रेषित। उपरोक्त दिये गये विवरणों को सत्यापित किया गया है

२. श्री/श्रीमती / कुमारी ..... का भविष्य निधि खाता सं..... (उसके द्वारा दी गई वार्षिक स्टेटमेंट से सत्यापित अनुसार)

३. ..... के उसकी मृत्यु हो गई। नगर प्राधिकरणों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, इस मामले में अपेक्षित नहीं है, क्यों कि यहां उसकी मृत्यु निस्सन्देह है।

४. उसके वेतन से अंतिम फंड की कटौती ..... माह के लिये, इस कार्यालय के बिल सं. ..... दिनांक ..... द्वारा ..... रुपये के लिये, कैश वाऊचर सं. ..... दिनांक ..... कटौती की राशि ..... एवं अग्रिम के रिफंड के खाते पर वसूली .....रु.

५. प्रमाणित किया जाता है कि उसे / उन्हें कोई अस्थाई अग्रिम की अनुमति नहीं दी गई और ना ही उसकी मृत्यु की तिथि के पूर्ववत १२ महीनों के दौरान उसके भविष्य निधि कोष से कोई अंतिम निकासी की गई है।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उसे नि नलिखित अस्थाई अग्रिम/अंतिम निकासियों की अनुमति दी गई तथा उसकी मृत्यु की तिथि के पूर्ववत १२ महीनों के दौरान उसके भविष्य निधि कोष से की गई अंतिम निकासी।

अग्रिमों/निकासियों की रह्वाशि	ऐन्कैशमेंट की तिथि एवं स्थान	वाउचर नंबर

---

१. ----------

२. ----------

(कार्यालय / विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

.....

फॉर्म- ६

भविष्य निधि कोष से अग्रिमं के लिये आवेदन हेतु प्रारूप

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

विभाग / कार्यालय.....

सामान्य भविष्य निधि कोष से अग्रिम हेतु आवेदन

१. अंशदाता का नाम

२. खाता सं या

३. पद

४. वेतन

५. आवेदन की तिथि पर अंशदाता के क्रेडिट पर बैलैंस, नि नानुसार

१- वर्ष हेतु स्टेटमेंट अनुसार क्लोज़िग बैलैंस

२- मासिक अंशदान के खाते पर ..... से ..... तक क्रैडिट

३- रिफंड

४- .....से ..... तक अवधि के दौरान निकासियां

५- क्रैडिट पर नेट बैंलैंस

६. अग्रिम/ बकाया अग्रिम की राशि

लिये गये अग्रिम की राशि एवं अनुमति की तिथि आज तक शेष बकाया :

१.....

२.....

---

७. अग्रिम की वांछित राशि

८. ए) उद्देश्य, जिस के लिये अग्रिम की आवश्यकता है

बी) जिन नियमों के अधीन उसकी आवेदन विचाराधीन है

सी) यदि अग्रिम मकान बनाने आदि के लिये चाहिये तो नि मनिलिखित जानकारी देनी होगी।

१- भूखंड की स्थिति एवं आकार

२- भूखंड फ्री होल्ड है या लीज़ पर

३- भवन निर्मण की नक्शा

४- यदि फलैट या भूखंड किसी आवासन समीति से खरीदा जा रहा है तो सोसाईटी की नाम, स्थिति और आकार आदि।

५- निर्माण की लागत

६- यदि फलैट किसी विकास पाधिकरण या किसी आवासन बोर्ड आदि से खरीदा जा रहा है तो उसकी स्थिति आकार आदि दिया जाना चाहिये

डी) यदि अग्रिम बच्चों की शिक्षा के लिये चाहिये तो नि नलिखित ब्रौरा दिया जाएगा।

१- बेटा/ बेटी का नाम

२- जहां पढ़ रहा है, उसकी कक्षा और संस्थान/कॉलेज

३- क्या रोज़ जाता है या छात्रावास में रहता है

ई) यदि अग्रिम की आवश्यकता बीमार पारिवारिक सदस्यों के उपचार के लिये चाहियो तो नि न लिखित ब्यौरा देना होगा।

१- रोगी का नाम और अंशदाता के साथ संबंध

२- उस अस्पताल / डिस्पैंसरी / डाक्टर का नाम जहां रोगी उपचाराधीन है।

३- क्या रोगी आऊटडोर / इनडोर है

४- क्या प्रतिपूर्ति उपलब्ध है या नहीं।

नोट: यदि अग्रिम मद ८(सी) से ८(ई) के अधीन दिया जाना है तो किसी दस्तावेज साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी।

९) समेकित अग्रम की राशि (मद ६ और ७) और अग्रिम के प्रस्तावित समेकित पुनर्भुगतान के लिये मासिक किश्तों की सं या

१०) अंशदाता की आर्थिक स्थिति, जिस में अग्रिम के आवेदन का औचित्य दर्ज हो।

मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त प्रदत्त ब्यौरा मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के आधार पर सही और पूर्ण है तर्ा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

तिथि .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

फॉर्म- ७

प्रारूप

सामान्य भविष्य निधि कोष पारादीप पोर्ट ट्रस्ट से अग्रिम की अनुमति हेतु

विभाग / कार्यालय का नाम

सं. .....

दिनांक:.....

आदेश

एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को उनके जीपीएफ खात सं या ..... से ..... रुपए (शब्दों में) के अग्रिम अनुदान हेतू ..... के नियम ..... के अनुसार ..... की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२ अग्रिम राशि की वसूली ..... की मासिक किश्तों में की जाएगी, जो ..... महीने के वेतन में से .....

देय होगी।

३ ..... रुपए की अग्रिम राशि में से ..... रुपए (शब्दों में) जिसे ..... में स्वीकृत किया गया और उन्हें ..... में अदा किया गया, वह नि नलिखित रूप में वर्णित समेकित राशि की वसूली के शुरू होन ेतक बकाया रहेगी। यह राशि अब स्वीकृत ..... रुपए की अग्रिम राशि ..... की किश्तों में ..... रुपए प्रति किश्त क साथ वसूली जाएगी, जो ..... महीने के वेतन से शुरू होगी और ..... में देय होगी।

४ फाइनेंस एंड अकाउंट्स विभाग की सहमति से उनके यूओआई सं या ..... तिथि ..... के मुद्दे कार्यालय प्रमुख

को प्रति प्रेषित की गई

१ एफए एंड सीएओ, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

२ संबंधित व्यक्ति ३ बिल क्लर्क

फॉमं-८

सामान्य निधि कोष से निकासी हेतू आवेदन पत्र का प्रारूप

विभाग/कार्यालय .....

सामान्य भविष्य निधि कोष से निकासी का आवेदन

१ अंशदाता का नाम

२ खात सं या

३ पद (संबंधित विभाग के साथ)

४ वेतन

५ सेवा में आने की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि

६ आवेदन करने की तिथि पर अंशदाता के खाते में जमा शेष नि नलिखित रूप में

१ वर्ष की स्टेटमेंट के अनुरूप क्लोजिंग बैलेंस

२ मासिक अंशदान के खाते में ..... से ..... को जमा राशि

३ क्लोजिंग बैलेंस के बाद निधि कोष में किया गया पुनर्भुगतान, के जरिये (१) उपरोक्तानुसार

४ ..... से ..... की अवधि के दौरान निकासी

५ आवेदन की तिथि पर जमा सकल शेष

७ आवश्यक निकासी की राशि

८ ए) निकासी का उद्देश्य

बी) नियम, जिसके अधीन निवेदन किया गया है

९ क्या कभी पूर्व में भी इसी उद्देश्य से राशि निकाली गई। यदि हां तो राशि और निकासी का वर्ष इंगित करें।

१० भविष्य निधि कोष का रखरखाव करने वाले लेखा अधिकारी का नाम

तिथि ..... आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पता.....

फॉर्म-९

सामान्य निधि कोष, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट से निकासी की स्वीकृति हेतू प्रारूप

विभाग/कार्यालय का नाम .....

सं या..... तिथि .....

सेवा में,

एफए एंड सीएओ

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा जीपीएफ से निकासी

श्रीमान,

१ मुझे निर्देश हुआ है कि मैं ..... को ..... रूल्स के नियम के अधीन श्री ..... (पद का उल्लेख करें) को ..... रुपए ..... (शब्दों में रुपए) उनके जीपीएफ निधि कोष खाता सं या ..... विभाग सहित वांछित निकासी की स्वीकृति सूचित करूं, ताकि वह ..... पर खर्च को वहन कर सकें।

२ निकासी की राशि श्री ..... के छह महीने के वेतन से ज्यादा नहीं या जीपीएफ खाते में उनकी जमा राशि/अंशदान की राशि से आधी, जो भी कम हो/जीपीएफ खाते में श्री ..... की जमा राशि/अंशदान की राशि का ३/४ है। उनका आधारभूत वेतन ..... रुपए हे।

३ प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से १० साल के भीतर हैं/उन्होंने बोर्ड में २५ वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

४ श्री ..... को वर्ष ..... की अकाउंट्स स्टेटमेंट के बाद ..... के जरिये ..... रुप की राशि हतू इस कार्यालय द्वारा बतौर आंशिक/अंतिम निकासी के रूप में अंतिम स्वीकृति दी गई थी। माना जाता है कि श्री ..... (जैसा उन्होंने बताया) को ..... द्वारा ..... रुपए आंशिक/अंतिम निकासी की स्वीकृति दी गई है।

आपका विश्वासपात्र

कार्यालय प्रमुख

को प्रेषित प्रति:-

१ श्री ..... उनका ध्यान पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (जीपीएफ) नियमनों के नियम ..... के प्रावधानों की ओर

दिलाया जाता है जिनके अनुसार, निधि कोष से राशि की निकासी स्वीकृत किए गए अंशदाता को स्वीकृति प्राधिकारी को इस बात पर संतुष्ट किया जाना चाहिए कि राशि का इस्तेमाल उसी उद्देश्य में हुआ जिसमें निकासी की गई। इसलिए इस आशय का एक प्रमाण–पत्र कृपया राशि की निकासी से ..... छह महीनों के भीतर जमा कराया जाए।

२

३

फॉर्म-१०

अग्रिम को अंतिम निकासी में परिवर्तित कराने का आवेदन

१. अंशदाता का नाम

२. पद और संबंधित अधिकारी, जिसके साथ अटैच हैं

३. वेतन

४. जीपीएफ खाता सं या

५. आवेदन करने की तिथि पर खाते में शेष राशि

(उसके द्वारा वास्तविक रूप से अभिदत्त राशि, उस पर देय ब्याज)

६. अंतिम निकासी में परिवर्तित की जाने वाली शेष राशि

७. ए) जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम लिया गया

बी) अग्रिम के भुगतान की तिथि

सी) स्वीकृत अग्रिम की राशि

८. पत्राचार का ब्यौरा जिसके आधार पर अग्रिम स्वीकृत हुआ

९. क्या उपरोक्त उद्देश्य हेतू पूर्व में कोई अग्रिम या अंतिम निकासी की गई। यदि हां तो उसका ब्यौरा

१०. ए) आवेदन करने की तिथि पर सेवाकाल में खंड अवधियों, यदि हैं तो, सहित कुल सेवा

बी) सेवानिवृत्ति से पूर्व आवेदन की तिथि पर शेष सेवाकाल की अवधि

सी) सेवानिवृत्ति की तिथि

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

पद .....

सं या .....

उपरोक्त ब्यौरे को जांच लिया गया है व सही है

अनुमोदक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

विभाग/कार्यालय का नाम .....

आदेश

सं या..... तिथि .....

एतद्द्वारा दिनांक ..... को अनुमतिप्राप्त ..... रुपए की जीपीएफ की बकाया राशि के तौर पर ..... रुपए (शब्दां में रुपए) की राशि की अंतिम निकासी में परिवर्तित करने हेतू पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (जीपीएफ) विनियमन १८८९ के नियम १८ के अधीन स्वीकृति दी गई है और उसे वाउचर सं या ..... तिथि ..... के उद्देश्य के लिए श्री/श्रीमतो/कुमारी ..... कार्यालय (जीपीएफ सं या) ..... में से निकाला गया।

हस्ताक्षर.....

पद .....

तिथि .....

को प्रेषित प्रति

१ एफए एंड सीएओ, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

२ संबंधित व्यक्ति

३ इत्यादि इत्यादि

हस्ताक्षर.....

पद .....

फॉर्म-११

सामान्य निधि कोष

बही

खाता सं या ..... नियुक्ति की तिथि

नाम ..... सेवानिवृत्ति की तिथि

पद ..... ३१ मार्च, १९..... को वेतन रुपए में

के जरिये प्राप्त नामांकन

पत्र सं या .....

तिथि ..... और स्वीकृत

वर्ष अंशदान रिफंड कुल अग्रिम निकासी मासिक शेष, जिस पर ब्याज जोड़ा जाना है टिप्पणी १९-१९
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर दिसंबर जऽवरी फरवरी मार्च
३१ मार्च, १९ को शेष रुपए : ..... जमा और रिफंड्स रुपए : ..... १९ ..... १९ .... के लिए ब्याज रुपए : ..... कुल रुपए : ..... निकासी घटाई रुपए : ..... ३१ मार्च १९ ..... को शेष रुपए : .....

द्वारा जांचा गया पड़ताल की गई

फॉर्म-१२

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

पोर्ट इंप्लॉइज जनरल प्रॉविडेंट फंड की खाता पर्ची

वर्ष २० .... २० ....

जीपीएफ खाता सं या ..... नाम ..... पद ..... कार्यालय कोड .....

पदासीन होने का महीना	ओपनिंग बैलेंस	अंशदान	निकासी	रिफंड	ब्याज	सीएलओ शेष
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
अप्रैल						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितंबर						
अक्तूबर						
नवंबर						
दिसंबर						
जऽवरी						
फरवरी						
मार्च						
कुल :						

खाता प्राधिकारी

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

एन.बी. :- खाता १९ मार्च ..... से फरवरी १९ ..... तक, ब्याज दर १२ फीसदी (१२ प्रतिशत)

फॉर्म-१३

क्र.सं.	आवेदन नाम और खाता प्रेषाण की पद सं या सं या और तिथि	मृत्यु/सेवाि भुगतान नवृत्ति/नौक प्राधिकृत री छोड़ने की तिथि की तिथि	वास्तविक भुगतान की तिथि	वतरण प्रमाण-पत्र की पावती की तिथि
१				
२				
३				
४				
५				
६				
७				
८				
९				
१०				

नोट १ : जब अंतिम भुगतान के लिए एकल भुगतान किया जाता है, तो कॉलम एबी का प्रयोग नहीं होगा।

नोट २ : वितरण प्रमाण-पत्रों की पावती के लिए जारी रिमाइंडरों को टिप्पणी कॉलम में दर्ष नहीं किया जाएगा।

नोट:-१) पारादीप पोर्ट इंपलॉइज (जनरल प्रॉविडेंट फंड) रेगुलेशंस, १९९१ को १९ मार्च, १९९१ को भारतीय गजट में जीएसआर सं या १५० (ई) के जरिये प्रकाशित किया गया था।

२) पारादीप पोर्ट इंपलॉइज (जनरल प्रॉविडेंट फंड) रेगुलेशंस, १९९१ को १९ मार्च, १९९१ का शुद्धिपत्र ६ नवंबर, १९९२ को भारतीय गजट में जीएसआर सं या ८५८ (ई) के जरिये प्रकाशित किया गया था।